आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

दिसम्बर 2022

कान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

आत्महत्या की भयावह तस्वीर



जीवन पर भारी पड़ती हताशा

Shalimar Restaurant is a casual dining restaurant

Specializing in North Indian Cuisine

which is known for its spicy indulgence and rich aroma ®

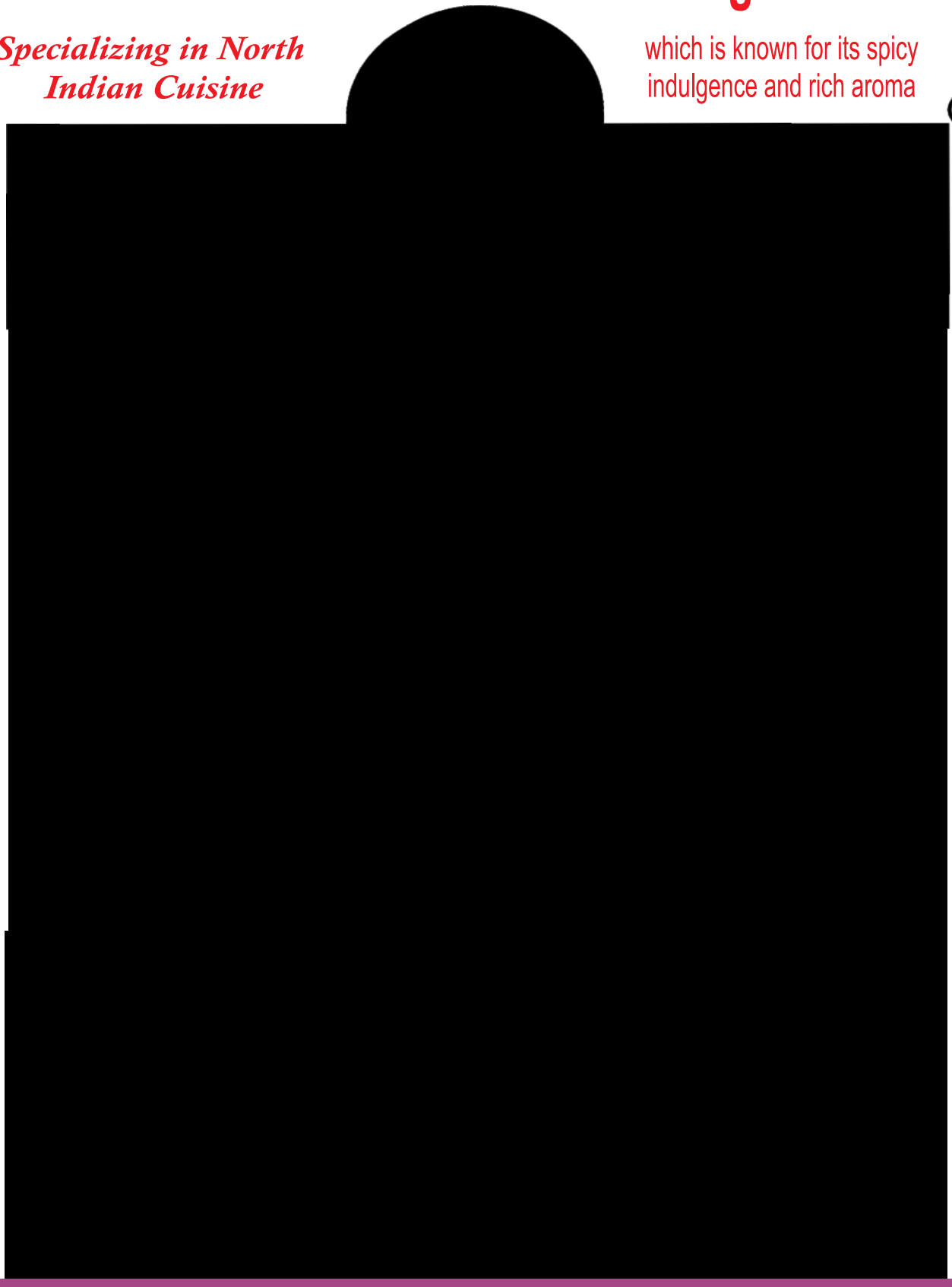

Vazir Building, Bhendi Bazaar, Mohammad Ali Road, Masjid Bunder, South Mumbai, 400003. ... Shalimar Restaurant -

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 06 दिसम्बर 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



आत्महत्या की भयावह तस्वीर



जीवन पर भारी पड़ती हताशा

कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) का अंतिम उपदेश!
मानवाधिकारों का घोषणा पत्र
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
सांप्रदायिकता से संघर्ष
सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी

सौंदर्य बोध 9
भावनात्मक विकास के कारक
एस॰ अमीनुल हसन

मुख्य स्तंभ 11
आत्महत्या की भयावह तस्वीर
जीवन पर भारी पड़ती हताशा
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 15
स्थिति क्यों है गंभीर?
योगेश कुमार गोयल

समाधान 19
पुष्पित करें जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण
गुलज़ार सहराई

कविता 27
दूसरा बनवास
कैफ़ी आज़मी

ज्वलंत 29
''शून्य भुखमरी का लक्ष्य''
कितने दूर कितने पास?
डॉ॰ प्रदीप कुमार

समसामयिक 33
हिजाब : मत, अभिमत और विमत
नईम अलहिन्दी

परिदृश्य 37
नफ़रत के ख़िलाफ़
सराहनीय आदेश
जितेंद्र गौतम

विशेष 39
मानवाधिकार दिवस के अवसर पर
मानवाधिकारों की इस्लामी संकल्पना
संपादन प्रभाग

लघुकथा 43
मेरी पार्टी
अकरम हयात

सेहत 44
सर्दी, खांसी, ज़ुकाम : मौसम के नख़रे
संक्रमण के ख़तरे
संपादन प्रभाग

करियर 46
भाषा से भविष्य बनाते दुभाषिए
संपादन प्रभाग

आख़िरी पन्ना 48
पलटो सत्य की ओर
वहीदुद्दीन ख़ां

मूल प्रश्न



पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का अंतिम उपदेश!

मानवाधिकारों का घोषणा पत्र

हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा Universal Declaration of Human Rights (UDHR) के उपलक्ष्य में ''मानवाधिकार दिवस'' मनाया जाता है। मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 48 देशों ने हस्ताक्षर किये थे जिनमें भारत भी शामिल था।

मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) की अंतर्निहित भावना यह है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा, क़ानून के समक्ष समानता और क़ानून की समान सुरक्षा और विचार, विवेक, धर्म, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।



मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं।

मनुष्य प्रजाति (species) में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की एक गरिमा होती है, इस कारण वह अपने आप में बहुमूल्य है, और मनुष्य होने के नाते उसे गरिमामय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, इसलिए पैदा होते ही प्रकृति उसे वे सब अधिकार प्रदान करती है जो एक मानव जाति के अस्तित्व और विकास के लिये ज़रूरी हैं। कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी अन्य व्यक्ति से उन अधिकारों को छीन नहीं सकता है।

'मानवाधिकार' शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी में किया गया था। इसके पहले अधिकारों के संदर्भ में 'प्राकृतिक अधिकार' अथवा 'व्यक्ति के अधिकार' शब्द प्रचलन में थे। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध दार्शनिकों ग्रोशियस, हॉब्स और लॉक की रचनाओं में हुई थी। उन्होंने बताया था कि प्राकृतिक अधिकारों का मुख्य आधार 'प्राकृतिक क़ानून' हैं। यह



शिब्ली अरसलान

क़ानून प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का सम्मान करने की बात कहते हैं। इसके अलावा, वर्ष 1776 में अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता के संबंध में जारी किये गए घोषणापत्र में भी कहा गया था कि 'सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं तथा सृष्टिकर्ता ने उन्हें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख की प्राप्ति जैसे कुछ अदेय (Undue) अधिकार प्रदान किये हैं।' तत्पश्चात वर्ष 1789 में फ्रांस द्वारा घोषित मानव और नागरिक अधिकारों के घोषणा पत्र में एक बार फिर व्यक्ति के अधिकारों की प्राकृतिक व अदेयता की बात कही गई थी। इन देशों ने अपने नागरिकों को ये अधिकार एक व्यक्ति होने के नाते दिया था न कि एक राज्य होने के नाते। ये कहा जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित जो घोषणाएं की गई थीं; 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र और इनसे संबंधित कई अन्य समझौतों के माध्यम से उन्हीं का और विस्तार किया गया। आसान भाषा में कहें तो मानवाधिकार पुराने प्राकृतिक अधिकारों के ही उत्तराधिकारी हैं।

आधुनिक युग में मानवाधिकारों के विकास की समीक्षा से पता चलता है कि पश्चिम में मानवाधिकार की अवधारणा का दो या तीन शताब्दियों से पहले का कोई इतिहास नहीं है। जबकि पैग़म्बरे इस्लाम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने चौदह सौ साल पहले मानवता के लिए मानवाधिकार की एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करके और स्वयं इसे लागू करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया था। ईश्वर के अंतिम पैग़म्बर ने मानवाधिकार के उचित कार्यान्वयन और उन्हें व्यावहारिक जीवन से जोड़ने के लिए मानवाधिकार को परलोकवाद (आख़िरत) से जोड़ा, जिसके कारण मानव अधिकारों की रियायत और सुरक्षा की ऐसी स्पिरिट पैदा हुई कि इंसान स्वयं मानवाधिकारों का रक्षक बन गया।

आज की सभ्य आधुनिक दुनिया, जो मानवाधिकारों की रट लगाते हुए थकती नहीं है, को पता होना चाहिए कि मानवाधिकार की जो अवधारणा उन तक पहुंची है, उससे कहीं अधिक व्यापक और स्पष्ट है वो अवधारणा जो पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) द्वारा ईश्वर के आदेशानुसार चौदह साल पहले प्रस्तुत की गई थी। अपने जीवन के आख़िरी हज के विदाई भाषण में उन्होंने बड़ी ताक़त और ज़ोर के साथ मानवाधिकार को बहुत विस्तार से समझाया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से सदियों पहले, आख़िरी हज का विदाई उपदेश मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की तुलना में कहीं अधिक अद्वितीय, सार्वभौमिक और व्यापक है। संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक घोषणा के कई बिंदु इस उपदेश से लिए गए हैं।

आख़िरी हज अर्थात् 'हज्जतुल विदा' के उपदेश की ख़ासियत यह है कि इसमें पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने न केवल मुसलमानों को, बल्कि पूरी मानवता को संबोधित किया है। इस उपदेश में सात बार 'हे लोगो! (ऐय्यु हन्नास) शब्द का प्रयोग हुआ है, मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जिन छह बुनियादी बातों पर आधारित है, उन्हें आख़िरी हज के विदाई उपदेश में बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। उनका विवरण इस प्रकार है-

(1) जीवन का अधिकार : मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण और क़ीमती है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। इस्लाम धर्म, जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों को जीने का अधिकार देता है।

(2) स्वतंत्रता का अधिकार : प्रत्येक मनुष्य प्रकृति द्वारा स्वतंत्र पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता, अर्थात् भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। इसी श्रेणी में 'राय की स्वतंत्रता', 'आवागमन की स्वतंत्रता' और 'धर्म की स्वतंत्रता' के अधिकार भी शामिल हैं।

(3) हिंसा से सुरक्षा का अधिकार: किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक हिंसा का शिकार नहीं बनाया जाएगा, न ही उसका अपमान या धमकी दी जाएगी।

(4) संपत्ति का अधिकार : इस्लाम बिना किसी भेद के सभी नागरिकों को संपत्ति ख़रीदने का अधिकार देता है। एक इस्लामिक राज्य में, सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को बिना कारण ज़ब्त नहीं कर सकती है। अन्यथा, नागरिक को उचित मुआवज़ा देना होगा।

(5) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार: इस्लामी समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भोजन, आवास, कपड़े, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। यह समाज की ज़िम्मेदारी है कि वह उन पुरुषों और महिलाओं की मदद करे जो अस्थायी या स्थायी विकलांगता के कारण अपना ख़र्च वहन नहीं कर सकते।

(6) शिक्षा का अधिकार : पुरुष हो या महिला, हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षित होने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास के सभी अवसर प्राप्त हैं और वह कोई भी पेशा चुनने के लिए स्वतंत्र है। ■■


City maker
BUILDERS PVT.LTD
55, Maruti Lane, Near Handloom House,
Fort, Mumbai-400 001, Ph. : 22661438, 22675328

सांप्रदायिकता से संघर्ष



चिंतन



सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी

हमारे देश के अधिकतर लोग शांति, सामाजिक सौहार्द और समानता चाहते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग सदियों से मिल- जुलकर रहते आए हैं। यही हमारी अस्ल शक्ति, हमारा सम्मान और हमारी पहचान है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रदायिकता हमारे देश को उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सम्मान से वंचित करने के लिए तत्पर है। इसलिए सांप्रदायिकता इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता और इसके सबसे विशेष चरित्र को समाप्त करने पर उतारू है।

कभी-कभी सांप्रदायिक दंगों का हो जाना या राजनीतिक हितों के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काए जाने की घटनाएं तो हमारे देश में होती रही हैं, लेकिन इस समय स्थिति बेहद गंभीर इसलिए है कि मामला अब सामाजिक विभाजन का रूप ले रहा है। स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि हमारा देश सामाजिक विखंडन की ओर बढ़ता जा रहा है।

जब समाज विभाजित हो जाता है और एक ही देश में रहने वाले लोग अलग-अलग ख़ेमों में बंट जाते हैं तो कैसी अराजकता पैदा होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं, इसके उदाहरण हम अपने आप-पास के देशों में देख सकते हैं। जो लोग हमारे देश को भी इस प्रकार का नर्क बना देना चाहते हैं वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सांप्रदायिक सोच इस देश के लिए बेहद घातक और इस देश को सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुंचाने वाली है।

इसलिए इस समस्या से निपटने

के लिए आवश्यक है कि इस संबंध में जागरूकता लाई जाए। जागरूकता लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे धार्मिक एवं सामाजिक संगठन आगे आएं, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और हमारे धार्मिक नेता आगे आएं।

दुनिया का कोई धर्म नफ़रत का पैग़ाम नहीं देता। यह हमारे धार्मिक गुरुओं की ज़िम्मेदारी है कि वे आगे आएं और शांति और सद्भावना का संदेश देश भर में फैलाएं। सांप्रदायिकता कितनी संस्थागत है, इसलिए इसका मुक़ाबला भी हमें संगठित तरीक़े से करना चाहिए। जो लोग समाज में सौहार्द चाहते हैं वे लोग एक मंच पर आएं, संगठित हों और मिल-जुलकर इस संदेश को आम करें।

समाज के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त इस समस्या का बड़ा गहरा संबंध हमारे धार्मिक नेताओं से है, ज़ाहिर है कि सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर फैलाई जाती है। धर्म का दुरुपयोग ही सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी शक्ति है। सांप्रदायिक शक्तियों का सबसे बड़ा हथियार यही है वे विभिन्न समुदायों के बीच संवादहीनता की स्थिति पैदा कर एक-दूसरे के बारे में ग़लतफ़हमियां और अफ़वाहें फैला देती हैं।

बहुत से सामाजिक अध्ययन मौजूद हैं जो हमें बताते हैं कि अगर विभिन्न समुदायों के बीच मेल-जोल और बातचीत का माहौल पैदा हो तो सांप्रदायिकता फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमारी अस्ल चुनौती यह है कि समाज में जो

इस समय सांप्रदायिकता का जो आकार है वह संस्थागत है, इसलिए इसका मुक़ाबला भी हमें संगठित तरीक़े से करना चाहिए। जो लोग समाज में सौहार्द चाहते हैं वे लोग एक मंच पर आएं, संगठित हों और मिल जुल कर इस संदेश को आम करें।



हानिकारक है और इससे बचना कितना ज़रूरी है यह संदेश लोगों में आम करना बेहद ज़रूरी है। यह संदेश केवल शहरों में ही नहीं, बल्कि गांव-गांव, गली-गली और घर-घर पहुंचाना ज़रूरी है।

समाज को संदेश देने के साथ-साथ इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि जो लोग समाज पर अपना प्रभाव रखते हैं, उनको संगठित किया जाए। इस समय सांप्रदायिकता का जो आकार है वह यदि हमारे धार्मिक नेता यह तय कर लें कि हम इस देश में सांप्रदायिकता को फैलने नहीं देंगे, तो इस समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है।

इसके अलावा यह काम केवल नेतृत्व के स्तर पर न हो बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी हो। परस्पर संवादहीनता (communication gap) से सांप्रदायिकता फैलती है। सांप्रदायिकता फैलने का सबसे प्रमुख कारण है संवादहीनता। विभाजन पैदा किया जा रहा है हम उसका मुक़ाबला करें। समाज में हर स्तर पर मेल-जोल और बातचीत को बढ़ाया जाए। जगह-जगह ऐसे मंच हों जहां वो बैठकर आपसी समस्याओं पर बात कर सकें। अगर यह काम बड़े पैमाने पर देश भर में हो जाए तो इससे सांप्रदायिकता के ज़हर का मुक़ाबला करने में बड़ी आसानी होगी।

■■

सौंदर्य बोध



एस. अमीनुल हसन



भावनात्मक विकास के कारक

'भावनात्मक विकास' सुनियोजित जीवन का एक प्रमुख आयाम है। मनुष्य की मानसिक अवस्थाएं उसके विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। भावनाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। मानसिक सुख और मानसिक तनाव व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाली भावनाओं का परिणाम है। भावनाओं पर नियंत्रण या संतुलन व्यक्तित्व में गहराई पैदा करता है और जीवन को शांतिमय बनाता है। नकारात्मक भावनाओं पर क़ाबू पाने से व्यक्तित्व में आकर्षण और जीवन में सुख एवं शांति आती है।

आज दुनिया में भावनात्मक समस्याओं का सबसे गंभीर रूप पाया जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपने आप में एक बड़ा ही विस्तृत विषय है। जिस प्रकार बुद्धिमत्ता को मापा जाता है और उसका निर्धारण किया जाता है उसी प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक नई शब्दावली है। हम अपनी भावनाओं को पहचानें, परिस्थितियों के अनुसार हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता पैदा करें। हम सदैव इस बात के लिए तत्पर रहें कि हम नई-नई चीज़ें सीखेंगे और सकारात्मक सोच अपनाए रखेंगे।

हम अपने भीतर यह योग्यता पैदा करें कि जब हम किसी से बात कर रहे हों या कोई अन्य मामला कर रहे हों तो सामने वाले की भावनाएं क्या हैं? फिर सामने वाला जैसा है उसके अनुसार

संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह एक कौशल है और इसकी अनुभूति के लिए एक विशेष बुद्धिमत्ता चाहिए। इसके लिए भावनात्मक या मानसिक संतुलन पैदा करना बेहद ज़रूरी है।

वर्तमान समय में हम जो बहुत-सी समस्याएं देख रहे हैं उनमें भावनात्मक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। चिंता, घबराहट, क्रोध, अपराध बोध, हीन भावना और मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं जब बहुत बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति यह सोचता है कि यह दुनिया मेरे लायक़ नहीं है और मैं इस दुनिया के लायक़ नहीं हूं। ऐसी स्थिति में वह कभी-कभी ग़लत क़दम उठा लेता है।

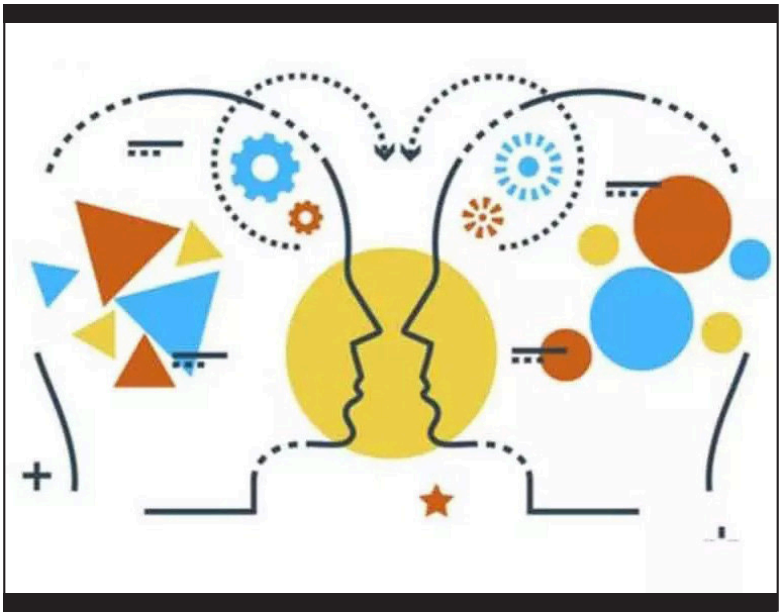

ईश्वर ने मनुष्य के भीतर भावनाओं को व्यर्थ में नहीं रखा है। क्रोध, भय और निराशा के पीछे भी उसकी तत्वदर्शिता (हिकमत) है, लेकिन उसका ग़लत इस्तेमाल करना बेहद हानिकारक है।

आज दुनिया भर के लोगों में नकारात्मक भावनाओं का बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या के समाधान का सबसे कारगर हथियार क़ुरआन, पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का जीवन और उनकी शिक्षाएं हैं। हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? क़ुरआन में जगह-जगह भावनाओं को नियंत्रित, संतुलित रखने और सुंदर बनाने की शिक्षा दी गई है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का जीवन भावनात्मक रूप से बेहद संतुलित व्यक्तित्व का एक जीता-जागता नमूना है। आपका व्यवहार सदैव सकारात्मक सोच का परिचायक रहा। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते थे और सामने वाले की भावनाओं का ख़याल रखते थे। आप लोगों के साथ मधुर संबंध बनाने का हुनर जानते थे और यह हुनर आपने दुनिया को भी सिखाया।

मनुष्य के भीतर बीमारियों का एकत्रित होना असंतुलित भावनाओं का परिणाम है। जब हम भावनात्मक रूप से संतुलन खो बैठते हैं तो भावनाएं हमारे लिए ज़हर बन जाती हैं और इन्सान तरह-तरह की बीमारियों का शिकार बन जाता है। हम जो नकारात्मक भावनाएं अपने भीतर पाल लेते हैं वे ज़हर के समान हैं और कुछ दिनों के भीतर यह ज़हर अपना असर दिखाता है।

जब हम बीमारी या रोग कहते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि जब हम अपने आपसे ख़ुश या प्रसन्न न हों तो हम बीमार होते हैं। भावनात्मक संतुलन न होना मानसिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने-आपको भावनात्मक रूप से मज़बूत एवं संतुलित बनाएं।

इसके लिए एक पैमाने के आधार पर 1 से लेकर 10 तक आप देखें कि आज आपकी भावनात्मकता किस स्तर पर है। आप एक पर हैं? डेढ़ पर हैं या फिर दो या तीन पर हैं, लिखिए और नोट करिए। भावनात्मक रूप से आपको बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना है तो अगले छह महीनों के लिए अच्छे से इसकी योजना बनाइए।

इसके लिए हम यह तय करें कि हम क्रोध को नियंत्रित करने संबंधी वर्कशॉप अटेंड करेंगे। हम इसे दूर करने से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। हम अपने आस-पास और परिवार के लोगों से नर्मी से बात करेंगे। हम लोगों से अच्छे संबंध बनाने के बारे में सीखेंगे। रोड पर कोई ग़लती सामने आ जाए तो हम उग्रता के शिकार नहीं होंगे। इसके लिए हमें योजनबद्ध तरीक़े से प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमें विभिन्न डिजिटल माध्यमों जैसे यूट्यूब और इसके प्रबंधन से संबंधित वेबसाइटों पर भी जाना चाहिए।

अपनी भावनाओं को नियंत्रित एवं संतुलित करने के लिए हमें योजनाबद्ध तरीक़े से काम करना चाहिए ताकि हमारा व्यक्तित्व भावनात्मक रूप से मज़बूत एवं स्थिर हो सके।

■■



आत्महत्या की भयावह तस्वीर

जीवन पर भारी पड़ती हताशा

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 7.30 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा लगभग बीस लाख लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं को एक तिहाई तक कम किया जाए, लेकिन यदि इसे भारत के संदर्भ में देखें तो केवल एक वर्ष के भीतर ही आत्महत्या दर लगभग दस प्रतिशत बढ़ गई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करना फ़िलहाल एक सपने जैसा लगता है।

राष्ट्रीय आत्महत्या के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सभी आत्महत्याओं में भारत का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है। गत दिनों राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत में आत्महत्या की दर में 7.14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से देश में आत्महत्या से मरने वालों में दिहाड़ी मज़दूरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। यहां वर्ष 2021 में 42 हज़ार से ज़्यादा दिहाड़ी मज़दूरों ने आत्महत्या की। वर्ष 2020 में प्रतिदिन लगभग 400 भारतीयों ने मानसिक तनाव, अवसाद और जीवन से हताश होने के कारण आत्महत्या की।

भारत समेत दुनिया भर में आत्महत्या के आंकड़ों की स्थिति निश्चित ही परेशान करने वाली है। इससे पता चलता है कि आज के दौर में लोग विभिन्न कारणों से किस क़दर मानसिक तनाव में जी रहे हैं। कोई व्यक्ति जब बहुत बुरी मानसिक स्थिति से गुज़रता है, तो वह गहरे अवसाद में चला जाता है। यही अवसाद कई बार आत्महत्या का कारण बनता है।

भारत में आत्महत्या के बढ़ते मामले एक लोक कल्याणकारी सरकार और उसकी व्यवस्था पर तो सवाल उठाते ही हैं, साथ ही साथ यह समाज



की संवेदनशीलता को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि आत्महत्या का किसी व्यक्ति की संपन्नता या विपन्नता से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति व्यवस्था की शिथिलता और समाज की असंवेदनशीलता के चलते भी आत्मघाती क़दम उठा लेता है। बहरहाल, कारण और परिस्थितियां जो भी हों आत्महत्या का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव, कुंठा और अवसाद। वर्तमान समय में व्यक्ति जितना तनावग्रस्त है वैसी स्थिति अतीत में पहले कभी नहीं थी।

मानसिक विकारों में तनाव एवं अवसाद को सबसे प्रमुख विकार माना जाता है। हर इन्सान कभी न कभी मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। इन्सान जीवन में कई बार छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर चिंताग्रस्त हो जाता है। यह चिंता यदि इन्सान अपने मन में छुपाए रखे और

भारत में आत्महत्या के बढ़ते मामले एक लोक कल्याणकारी सरकार और उसकी व्यवस्था पर तो सवाल उठाते ही हैं, साथ ही साथ यह समाज की संवेदनशीलता को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि आत्महत्या का किसी व्यक्ति की संपन्नता या विपन्नता से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति व्यवस्था की शिथिलता और समाज की असंवेदशीता के चलते भी आत्मघाती क़दम उठा लेता है।

इसे अंदर ही अंदर बहुत बड़ी समस्या समझने लगे तो यह चिंता बड़े तनाव का कारण बन जाती है। यही तनाव धीरे-धीरे मानसिक अवसाद का रूप ले लेता है।

आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इन्सान बहुत व्यस्त नज़र आता है। किसी आदमी के पास ज़रा-सा भी समय नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो तनाव एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ नज़र आती है। आजकल तो छोटे-छोटे, दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी यह कहते हुए पाए जाते हैं कि 'हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। हमें पढ़ाई की चिंता है, हमें परीक्षा की चिंता है।'

ऐसे में सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? मानसिक तनाव या अवसाद का इलाज जानने से पहले यह ज़रूरी है कि हम इसके कारणों के बारे में जानें। तनाव या अवसाद क्या है? हम देखते हैं कि किसी की नौकरी छूट

“और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि “हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है,” उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।”

(क़ुरआन, 2:155-157)

गई, कोई किसी परीक्षा व किसी कार्य में असफल हो गया या किसी की अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, तो अब वह बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति को मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन इन सारे कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो एक महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आती है। वह यह कि जब इन्सान किसी चीज़ को पाने के लिए अथक कोशिशें करता है और इस अथक कोशिशों के बावजूद वह चीज़ उसको हासिल नहीं हो पाती और वह अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर वह मानसिक तनाव या अवसाद का शिकार हो जाता है।

हम समझते हैं कि जो भी मक़सद या लक्ष्य हमने ख़ुद के लिए तय कर रखा है, वही सब कुछ है और उसे पाने की कोशिशों के बेकार हो जाने का जो दर्द है वही तनाव और अवसाद में बदल जाता है। अभिप्राय यह कि इन्सान अपनी कोशिशों को ही सब कुछ मान लेता है।

इस समस्या का सबसे अच्छा हल धर्म प्रस्तुत करता है। धर्म कहता है कि किसी कार्य के परिणाम पर तुम्हारा कोई वश नहीं है। तुम्हारी कोशिशों पर किसी कार्य का परिणाम निर्भर नहीं करता, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर करता है और सभी चीज़ें उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। यदि वह चाहेगा तो तुम सफल हो जाओगे और यदि वह चाहेगा तो तुम असफल हो जाओगे। इसलिए कोशिशों पर कोई चीज़ निर्भर नहीं करती है। हमारा अधिकार केवल हमारे प्रयासों पर है, परिणामों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह बात यदि इन्सान अपने मन में बिठा ले तो वह मानसिक तनाव या अवसाद का शिकार कभी नहीं हो सकता, लेकिन धर्म की इस अवधारणा को केवल आंशिक रूप से आत्मसात करके कोशिशें करना छोड़ देना नासमझी की बात होगी और कोशिशों को छोड़ देने से एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि इसकी सही अवधारणा को समझा जाए।

तनाव या अवसाद का ऐसा सकारात्मक एवं संरचनात्मक हल जिसमें इन्सान की कोशिशें अस्वीकार न हों, बल्कि इन्सान कोशिशें भी करे और तनावग्रस्त भी न हो, इस प्रकार का हल इस्लाम प्रस्तुत करता है। इस्लाम कहता है कि निसंदेह, जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, लेकिन इन्सान की कोशिशें बेकार नहीं जाती। पवित्र क़ुरआन कहता है-

‘‘और यह कि इन्सान के लिए कुछ भी नहीं है, मगर वह जिसके लिए उसने प्रयास किया है, और यह कि उसका प्रयास जल्द ही देखा जाएगा, फिर उसका पूरा बदला उसे दे दिया जाएगा और यह कि आख़िकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है।’’ (क़ुरआन, 53:39-41)

यदि हम आज के भौतिक विज्ञान में कार्य की परिभाषा को देखें तो उसके अनुसार, कार्य = बल × विस्थापन होता है।

यानी जब हम किसी भी चीज़ पर ताक़त लगाएं और वह चीज़ अपनी जगह से हट जाए तो इसे कार्य हुआ माना जाएगा, लेकिन इस्लाम की परिभाषा में कार्य के हो जाने के लिए विस्थापन या कार्य का हो जाना ज़रूरी नहीं है। इस्लाम कहता है कि यदि तुमने अपनी अथक कोशिशें कर डाली हैं और तुमने अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है, उसका मक़सद पूरा हुआ या नहीं इस बात पर तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार नहीं है। तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार तुम्हारी नीयत और तुम्हारी कोशिशों पर है।

क़ुरआन में कहा गया है कि यदि तुम अपनी जिद्दोजहद पूरी कर दोगे और अपने आपको पूरी तरह लगा दोगे तो फिर नतीजे की ज़िम्मेदारी ईश्वर पर है। तुम्हारी कोशिशों का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारी कोशिशों की राह में कठिनाइयों और परेशानियों से सामना होना तय है, लेकिन इन्सान को हिम्मत नहीं हारना है। क़ुरआन में अल्लाह तआला का कथन है-

''और हम ज़रूर तुम्हें डर, भूख, जान-माल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े, तो कहें कि ''हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलटकर जाना है,'' उन्हें ख़ुशख़बरी दे दो। उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।''

(क़ुरआन, 2:155-157)

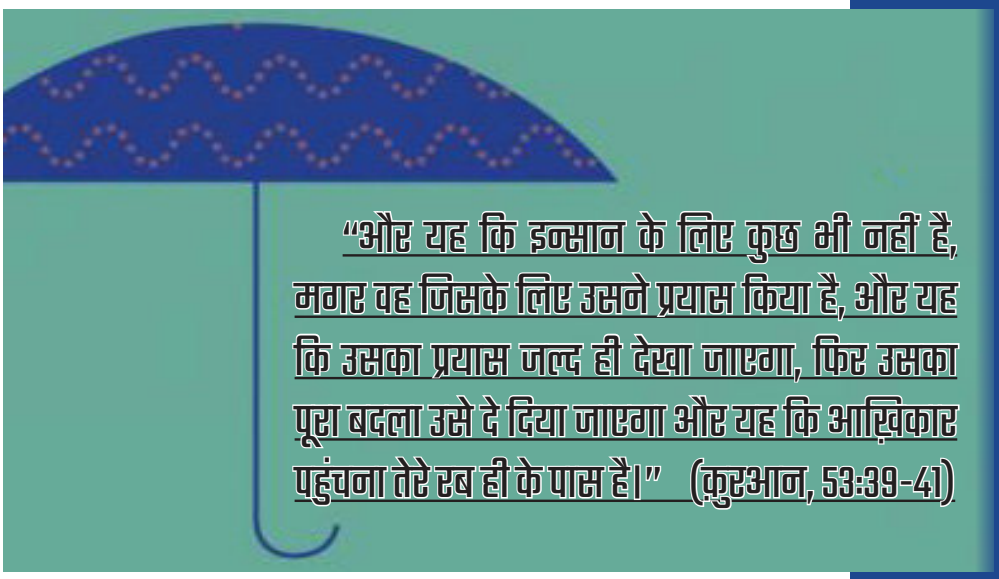

आज अगर हम देखें तो इन्सानियत सुकून की तलाश में है। इन्सान को सुकून इस्लाम की इस अवधारणा में मिल सकती है कि कोशिशें करना तुम्हारे वश में है और नतीजा ईश्वर के हाथ में है। यदि तुमने सच्चे मन से कोशिशें की हैं, तो इसका नतीजा तुम्हें इस दुनिया में नहीं तो मौत के बाद आने वाले जीवन में ज़रूर मिलेगा। यदि इन्सान इस बात को अपने मन में बिठा ले तो वह अपने कार्यों के लिए पूरी कोशिश भी करेगा और तनाव या अवसादग्रस्त भी नहीं होगा। ■■

बहरहाल, कारण और परिस्थितियां जो भी हों आत्महत्या का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव, कुंठा और अवसाद। वर्तमान समय में व्यक्ति जितना तनावग्रस्त है वैसी स्थिति अतीत में पहले कभी नहीं थी। भारत समेत दुनिया भर में आत्महत्या के आंकड़ों की स्थिति निश्चित ही परेशान करने वाली है। इससे पता चलता है कि आज के दौर में लोग विभिन्न कारणों से किस कदर मानसिक तनाव में जी रहे हैं। कोई व्यक्ति जब बहुत बुरी मानसिक स्थिति से गुज़रता है, तो वह गहरे अवसाद में चला जाता है। यही अवसाद कई बार आत्महत्या का कारण बनता है।

स्थिति क्यों है गंभीर ?

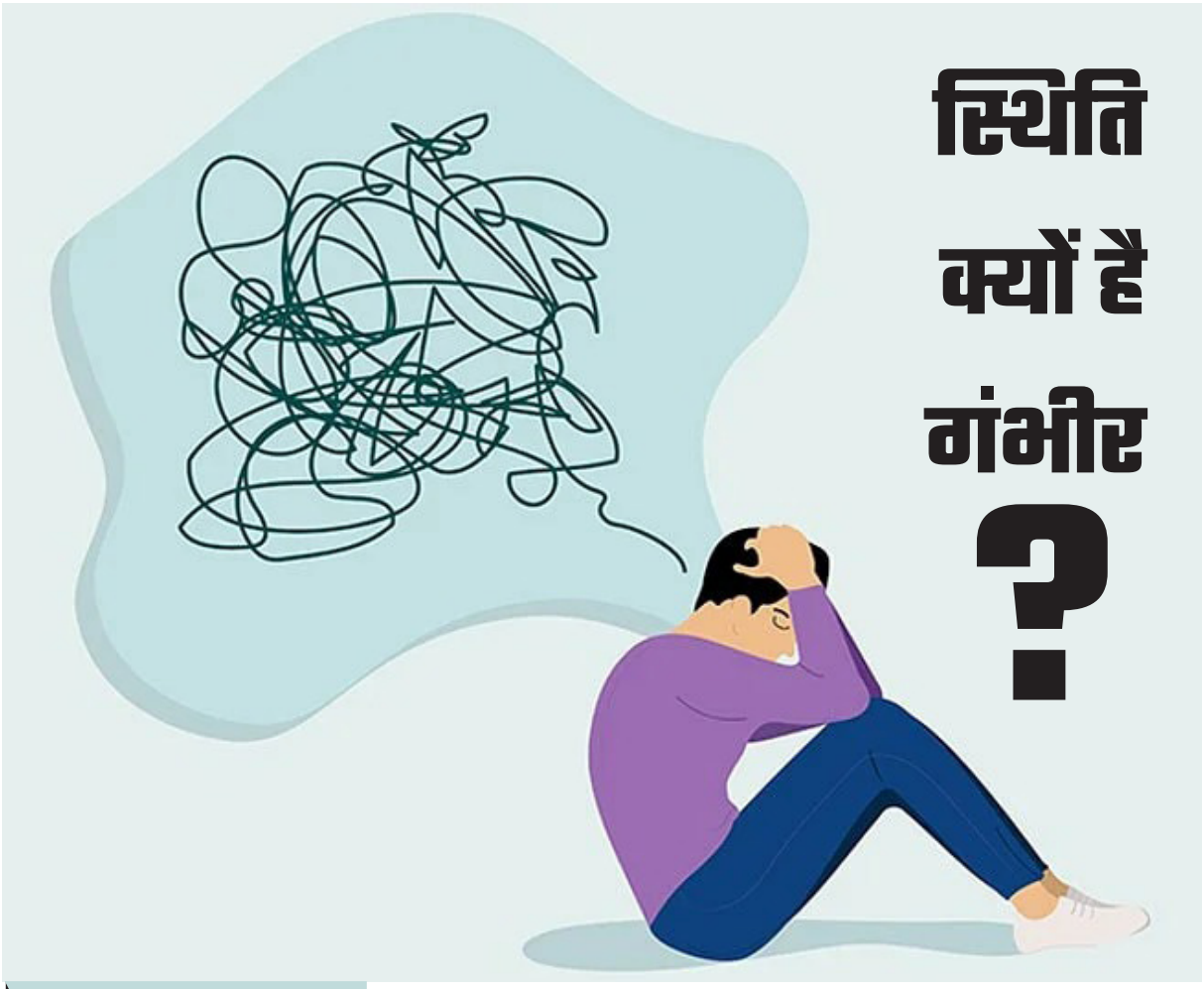

अभिमत



योगेश कुमार गोयल

लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से हर साल दस सितम्बर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में 'इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन' (आइएएसपी) द्वारा की गई थी, जिसे अब विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा मानसिक स्वास्थ्य फेडरेशन द्वारा सह-प्रायोजित किया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए डब्लूएचओ प्रतिवर्ष एक 'थीम' निर्धारित करता है। 2021-2023 के लिए त्रैवार्षिक विषय 'क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन' (कार्रवाई के माध्यम से आशा बनाना) निर्धारित है। डब्लूएचओ का मानना है कि कार्रवाई के ज़रिये आशा पैदा करके हम आत्मघाती विचारों से ग्रस्त लोगों को संकेत दे सकते हैं कि हम उनकी परवाह करते और उनका समर्थन करना चाहते हैं। भारत में पिछले पांच-छह वर्षों में आत्महत्या की दर बढ़ने के कारणों को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। उनके प्रत्यक्ष मित्र कम और सोशल मीडिया पर मित्र अधिक हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के सदस्यों से कट रहे हैं और अपने फ़ोन या सोशल मीडिया घेरे तक ज़्यादा सीमित हो गए हैं।



एनसीआरबी द्वारा जारी पिछले पांच वर्षों के आत्महत्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो स्पष्ट है कि आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ़ लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक़ देश में 2017 में आत्महत्या के एक लाख 29 हज़ार 887 मामले दर्ज हुए थे, जिसकी दर प्रति लाख आबादी पर 9.9 थी। 2018 में यह दर बढ़कर 10.2 पर पहुंच गई। 2019 में कुल एक लाख 39 हज़ार 123 लोगों ने और 2020 में एक लाख 53 हज़ार 52 लोगों ने आत्महत्या की। 2021 में एनसीआरबी के मुताबिक़ कुल एक लाख 64 हज़ार 33 लोगों ने आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। 2017 से 2021 तक इन मामलों में 26 फ़ीसद से भी ज़्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। 2021 में आत्महत्या करने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का था, जिनका स्वयं का रोज़गार था। इसी प्रकार पेशेवर या वेतनभोगी श्रेणी के लोगों की संख्या 15 हज़ार 870, बेरोज़गारों की संख्या 13 हज़ार 714 और छात्रों की संख्या 13 हज़ार 89 रही। वर्ष 2021 में आत्महत्या करने वालों में 23 हज़ार 179 गृहणियां भी शामिल थीं। देश में 25.6 फ़ीसद दिहाड़ी मज़दूरों, 14.1 फ़ीसद गृहिणियों, 12.3 फ़ीसद स्वनियोजित लोगों, 9.7 फ़ीसद पेशेवर या वेतनभोगियों, 8.4 फ़ीसद बेरोज़गारों, 8 फ़ीसद विद्यार्थियों, 6.6 फ़ीसद कृषि कार्य से जुड़े लोगों, 0.9 फ़ीसद सेवानिवृत्त लोगों और 14.4 अन्य ने आत्महत्या की।

हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में दर्ज होने वाले आत्महत्या के मामलों के मुक़ाबले आमतौर पर वास्तविक संख्या चार से बीस गुना ज़्यादा होती है। उनके मुताबिक़ अगर भारत में भी आत्महत्या के मामलों की दर्ज संख्या देखें तो वह वास्तविक संख्या से बहुत कम है। इस संबंध में उनका मानना है कि समाज में आत्महत्या पर खुलकर बात नहीं होती और इसे आज भी एक कलंक के तौर पर देखा जाता है। अधिकांश परिवार

देश में हर साल लाखों आत्महत्याएं समाज में हताशा और निराशा व्याप्त होने का जीता-जागता प्रमाण है। हालांकि आत्महत्या की समस्या केवल आर्थिक या राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और मानसिक कारण भी मौजूद होते हैं। अगर आर्थिक और राजनीतिक कारणों से समाज में हताशा या निराशा व्याप्त होती है, तो उनके निवारण की ज़िम्मेदारी भी सरकारों की है।



इसे छिपाने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण भारत में शव परीक्षण की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती और अमीर लोग प्रायः स्थानीय पुलिस के ज़रिये आत्महत्या के मामलों को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं।

एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट में भारत में आत्महत्या के कारणों के लिए पेशेवर या करिअर संबंधी समस्याओं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याओं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुक़सान, पुराने दर्द आदि को प्रमुख कारण माना है। विशेषज्ञों के मुताबिक़ अवसाद जैसे शारीरिक और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य को अक्षम करने वाले कारक इस सूची में सबसे आम हैं। इसके अलावा ख़राब वित्तीय स्थिति से उपजी चिड़चिड़ाहट, आक्रामकता, शोषण और दुर्व्यवहार के अनुभव तक परस्पर संबंधित कारक हैं, जो आत्महत्या के लिए उकासाने वाली दर्द और निराशा की भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।

बदलती जीवनशैली, ख़ुद के लिए समय की कमी, बीमारियां, पारिवारिक संबंधों में दूरियां, घर का नकारात्मक माहौल, प्रेम में विफलता, अकेलापन, शिक्षा तथा करियर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा आदि ऐसे कारण हैं, जिनसे लोगों में अवसाद पनप रहा है और अनेक मामलों में इस वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में हम जिस प्रकार का बनावटी और दोहरे मापदंड वाला जीवन जी रहे हैं, उसमें तनाव विद्यमान है, जिससे समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग प्रभावित है। जहां दहेज जैसी कुप्रथा और पारिवारिक समस्याओं के कारण महिलाओं की आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, वहीं युवाओं द्वारा पढ़ाई का दबाव, करिअर संबंधी समस्याएं और ख़राब होते रिश्ते आत्महत्या जैसे घातक क़दम उठाने की प्रमुख वजह बन रहे हैं। महामारी के दौर में नौकरियां छिन जाने, अपने क़रीबियों को खोने और अकेलेपन ने लोगों को चिंतित, उदास, एकाकी और अति संवेदनशील बना दिया है, जिसके कारण भी कुछ लोग जीवन में आई मुसीबतों का मुक़ाबला करने के बजाय आत्महत्या की तरफ़ क़दम उठा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक़ आत्महत्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीक़ा चेतावनी संकेतों को पहचानना और इस तरह के संकट का जवाब देना है।

देश में हर साल लाखों आत्महत्याएं समाज में हताशा और निराशा व्याप्त होने का जीता-जागता प्रमाण है। हालांकि आत्महत्या की समस्या केवल आर्थिक या राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और मानसिक कारण भी मौजूद होते हैं। अगर आर्थिक और राजनीतिक कारणों से समाज में हताशा या निराशा व्याप्त होती है, तो उनके निवारण की ज़िम्मेदारी भी सरकारों की है। हमारा जीवन अनमोल है। तनाव, निराशा या हताशा का समाधान आत्महत्या नहीं है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि अवसाद से ग्रस्त लोगों की मानसिक चिकित्सा के ज़रिये उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके अलावा परिवार और समाज का भावनात्मक संबल भी अवसाद में जाने से बचाने में मददगार हो सकता है। इस प्रकार देश में लगातार आत्महत्याओं के बढ़ते ग्राफ़ को तेज़ी से नीचे लाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। (साभार : जनसत्ता) ■■

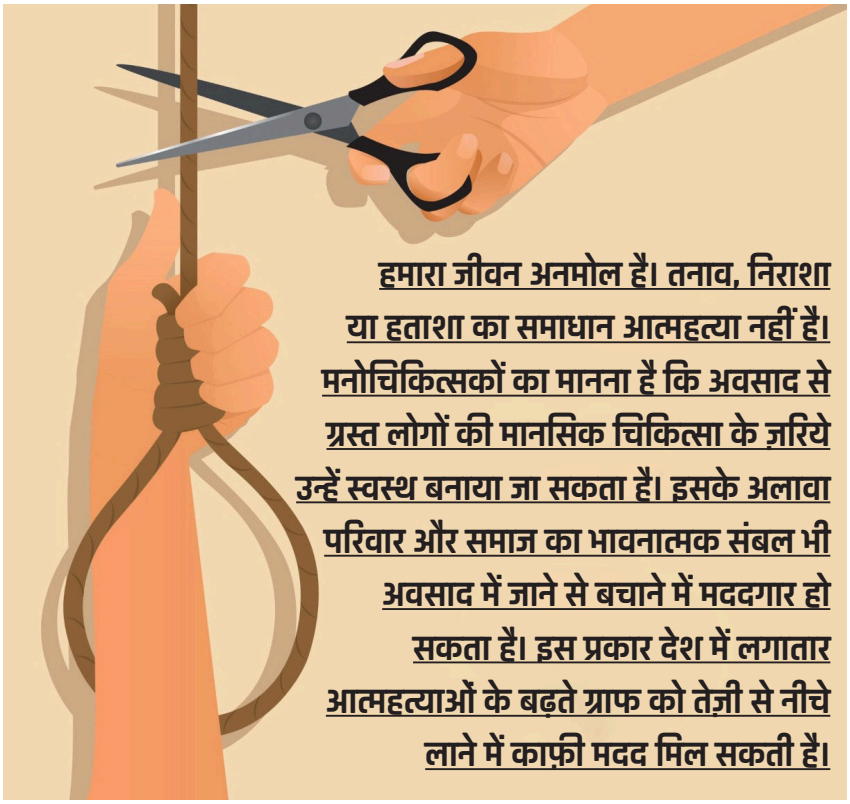

हमारा जीवन अनमोल है। तनाव, निराशा या हताशा का समाधान आत्महत्या नहीं है। मनोचिकित्सकों का मानना है कि अवसाद से ग्रस्त लोगों की मानसिक चिकित्सा के ज़रिये उन्हें स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके अलावा परिवार और समाज का भावनात्मक संबल भी अवसाद में जाने से बचाने में मददगार हो सकता है। इस प्रकार देश में लगातार आत्महत्याओं के बढ़ते ग्राफ को तेज़ी से नीचे लाने में काफ़ी मदद मिल सकती है।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

एक संक्षिप्त परिचय

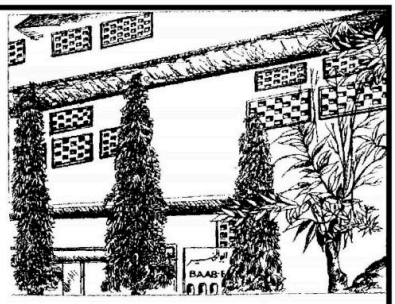

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी (Residential) इदारा

● **36** वर्षीय सेवाएं ● 21 विभाग **शिक्षा** :प्राथमिक से मैट्रिक तक **पत्राचार शिक्षा** (Distance Education) I.A., B.A., M. A. एवं Library Science (Blis) ● स्टडी सेन्टर-यतीमख़ाना इस्लामिया गया ● मंजूरशुदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी **शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा के साथ-साथ मैट्रिक (Matric)** ● 12 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा (Adult Educations) **वोकेशनल सेन्टर** (Vocational Centre) ● कटिंग और सिलाई : 11 बैच 103 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 7 बैच 65 छात्राओं ने Certificate हासिल की ● **बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड** 1993 ई॰ से **2022** ई॰ तक 102 अनाथ बच्चियों और 78 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● कंप्यूटर (Computer) की भी शिक्षा ● **वार्षिक ख़र्च** : 35 लाख रुपये से अधिक ● **आमदनी के स्रोत** : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● **इदारा 100** अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 20,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठाकर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : उदाहरणस्वरूप ● ज़कात ● सदक़ात ● अतियात ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदाएगी आदि ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,35,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाने और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना। नोट : ❶ यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किए जाते हैं और ऑडिट होता है। हर चीज़ खुली किताब की तरह है। ❷ इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिल-जुलकर रहा करती हैं । ❸ इस्लामी माहौल, खुला स्थान, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम।

चार बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो सूद (Interest) के तौर पर बैंक से मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम लड़कियों की अशिक्षा और जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कियों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यतीम बच्चियां जिनके पिता का देहांत हो चुका है उनके भोजन एवं आवास के साथ-साथ एक बेटी की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं ❸ बाहरी छात्राओं के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल की भी व्यवस्था है। ❹ यतीम तालिबात का दाख़िला तालीम मअ तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

नोट : क़ौम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अनुरोध है कि क़ौम की यतीम बच्चियों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए रहनुमाई करें और तवज्जोह दिलाएं। शुक्रगुज़ार हूंगा।

इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना तआवुन का मुंतज़िर है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह इदारा माली मुश्किलात में घिरा हुआ है। दुश्वारी का सामना है। आमदनी घट के कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us
For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात अब डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Girls' Orphanage"

तरसीले ज़र व रावते का पता : Hon. General Secretary
The Gaya Muslim Girls' Orphanage
At. Kolowna, P.O. Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India
E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.in

Indian Donors : भारतीय चंदा देने वाले

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No. : 300402010007752
Bank IFS Code No : UBIN0530042
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

इक़बाल अहमद ख़ान बानी व एज़ाज़ी जेनरल सेक्रेट्री - 09934480190

पुष्पित करें

जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण

समाधान



गुलज़ार सहराई

जीवन एक ऐसा अनमोल उपहार है जो हर किसी को प्रकृति की ओर से केवल एक बार प्रदान किया जाता है। इस वास्तविकता को हम सभी लोग भली-भांति जानते हैं, इसी लिए हममें से प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वह इस जीवन को भरपूर तरीक़े से व्यतीत करे। जीवन के वे कुछ वर्ष जो उसे प्रकृति की ओर से प्रदान किए गए हैं, उनमें अपनी तमाम इच्छाएं एवं अभिलाषाएं पूरी कर डाले। अपनी इस इच्छा को व्यावहारिक रूप देने के लिए जहां एक ओर इन्सान वैध तरीक़े अपनाते हुए कठिन परिश्रम करता है, वहीं बहुधा शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए अवैध तथा जटिल रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकता। यहां तक कि कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए वह अपने ही जैसे दूसरे इन्सानों की हत्या करने से भी नहीं हिचकता।



आत्महत्या : समस्या और समाधान

लेकिन इसी जीवन के प्रति बेहद लोभी इन्सान के जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब उसे अपना यह प्यारा जीवन एकदम नीरस, निरर्थक तथा निरुद्देश्य प्रतीत होने लगता है। फिर उसका यह एहसास यहां तक बढ़ जाता है कि अन्ततः वह अपने ही हाथों अपने प्यारे जीवन को समाप्त कर बैठता है।

एक ओर जीवन का इतना लोभ कि उसके लिए वैध-अवैध की सीमाओं की भी चिन्ता न करना और दूसरी ओर जीवन से इतनी विरक्ति कि अपने ही हाथों इसे समाप्त कर डालना, निश्चय ही अतिवाद की यह दोनों स्थितियां इन्सान के मानसिक असंतुलन ही को ज़ाहिर करती हैं।

पत्र-पत्रिकाओं में आए दिन आत्महत्या से संबंधित समाचार पढ़ने में आते रहते हैं, बल्कि शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता हो जब आत्महत्या से संबंधित कोई ख़बर न मिलती हो। कभी कोई युवा जोड़ा प्रेम में असफल होकर मौत को गले लगाता है, तो कभी कोई छात्र परीक्षा में फ़ेल होने पर अपने जीवन को ख़त्म कर डालता है। कभी कोई व्यक्ति समाज में फैल रही बदनामी के दुख में या बदनामी फैल जाने की आशंका से, मौत का प्याला पीता है, तो कभी कोई व्यक्ति ग़रीबी और अपने बच्चों को भूख एवं छोटी-छोटी मौलिक आवश्यकताओं के लिए तरसते देखकर और ख़ुद को इस समस्या के सुलझा पाने में विवश एवं असहाय पाकर घबरा उठता है। यहां तक कि वह फिर अपने ही हाथों अपने परिजनों को समाप्त करके ख़ुद भी हमेशा की नींद सो जाता है।

इस प्रकार की घटनाओं में अगरचे आत्महत्या के विभिन्न कारण नज़र आते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा

जाए तो एक बात सब में समान रूप से पाई जाती है और वह है मुश्किल और अप्रत्याशित स्थिति से समझौता न कर पाने की मनोविकृति। यही मनोविकृति निराशा को जन्म देती है और निराशा अपने चरम पर पहुंच कर इन्सान को आत्महत्या के लिए मजबूर करने लगती है। ऐसे में इन्सान को लगने लगता है कि उसका यह जीवन बेकार है, क्योंकि वह उसे अपनी मर्ज़ी के अनुसार नहीं जी पा रहा है। कभी वह उसके लिए स्वयं को दोषी ठहराता है, कभी भाग्य को कोसता है और कभी उसे समाज अपना दुश्मन नज़र आता है। फिर इस विषय में वह जितना सोचता है, उतना ही उलझता चला जाता है और इस उलझन से निकलने के लिए उसे एक ही रास्ता नज़र आता है कि ख़ुद मौत को गले लगाकर सारे झंझटों से मुक्ति पा जाए।

लेकिन क्या मरने के बाद वास्तव में सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है? किसी मरनेवाले ने आज तक नहीं बताया और न आज तक यही साबित किया जा सका है कि मरने के बाद इन्सान बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो लोग धर्म और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते वे कहते ज़रूर हैं कि मरने के बाद इन्सान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन उनके पास इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं होता। बल्कि वे केवल इस आधार पर ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन्हें मरने के बाद की स्थिति नज़र नहीं आती। लेकिन किसी चीज़ का नज़र न आना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि वह चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है।

उदाहरण के लिए ख़ुशबू को ही ले लीजिए। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन केवल महसूस करने की वजह से हर कोई उसके वुजूद को स्वीकार करता है। और अब तो मेडिकल साइंस में भी इस का इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसके द्वारा इलाज भी संभव हो गया है, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिन्हें घ्राण-शक्ति (सूंघने की ताक़त) न होने, या इसमें त्रुटि होने, के कारण सुगंध या दुर्गंध कुछ भी महसूस नहीं होती। अब अगर वे लोग यह कहने लगें कि ख़ुशबू या बदबू नाम की चीज़ सिरे से होती ही नहीं है, तो यह उनकी नादानी ही कही जाएगी। कुछ ऐसा ही हाल उन लोगों का है जिन्हें अपनी अल्प बुद्धि या गहन चिन्तन न करने के कारण मरने के पश्चात् के जीवन की सार्थकता समझ में नहीं आती, अतः वे उसे निरर्थक और असंभव समझकर उसका इनकार कर देते हैं।

इसके विपरीत जो लोग किसी धर्म में आस्था रखते हैं वे उसे मानते हैं, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सभी धर्मों ने इस विषय को बहुत महत्व दिया है। यह अलग बात है कि इस सवाल के जवाब में कि "मरने के बाद इंसान का क्या होता है?" धर्मों में मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन इस बात पर सभी धर्म एकमत हैं कि मरने से इन्सान का केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं मरती। और जहां तक आत्मा का सवाल है तो उसके बारे में तो ख़ुद विज्ञान भी कुछ बता पाने से असमर्थ है। अतः यह सोचना कि मौत से सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, केवल भ्रम है, कोई वास्तविकता नहीं।

अब सवाल यह है कि जब यह निश्चित नहीं है कि मरने के बाद इंसान वास्तव में विलुप्त हो जाता है तो फिर लोग आत्महत्या का रास्ता क्यों अपनाते हैं?

सांसारिक जीवन ही को सब कुछ समझने की भूल

इसका पहला और मूल कारण तो यह है कि अधिकतर लोगों को पारलौकिक जीवन पर पूरा विश्वास नहीं है। प्रकट में तो नास्तिकों की संख्या बहुत कम पाई जाती है, और इसके विपरीत हर कोई किसी न किसी धर्म के प्रति आस्थावान दिखाई देता है, लेकिन गहराई से देखने पर मालूम होता है कि प्रकट में धार्मिक दिखाई देने वाले अधिकांश लोग भी वस्तुतः भौतिकवादी ही होते हैं और मुख से परलोक और स्वर्ग-नरक को मानने का दावा करने के बावजूद इसी वर्तमान जीवन को ही सब कुछ समझते हैं ओर इसी में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना चाहते हैं। फिर जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो इन्ही में से कुछ लोग अत्यंत निराशा की स्थिति में आत्महत्या कर बैठते हैं।

फिर जो लोग धर्म के प्रति गंभीर भी होते हैं और यह मानते भी हैं कि वे मरने के बाद बिल्कुल विलुप्त न हो जाएंगे, वे भी अत्यंत निराशा की स्थिति में इस कारण स्वयं को आत्महत्या से रोक नहीं पाते, क्योंकि उनका धर्म इस विषय में उनका स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं करता। उनका धर्म यह तो कहता है कि "आत्महत्या पाप है!" लेकिन वह पाप और गुनाह क्यों है? इस पाप से इन्सान ख़ुद को कैसे बचाए? निराशा एवं हताशा का मारा इंसान कहां से संबल पाए? और क्यों और कब तक जीवन का अनचाहा बोझ ढोता रहे? इन कठिन और जटिल प्रश्नों के उत्तर अधिकतर धर्मों में नहीं मिलते, बल्कि कुछ धर्म तो आत्महत्या को पाप बताने के साथ-साथ उसकी प्रेरणा भी देते आए हैं। हिन्दू धर्म में सती-प्रथा उसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसके अनुसार पति के मरने के बाद उसकी विधवा को पति के साथ ही उस की 'चिता' में जल मरना होता है। अगरचे इस कुप्रथा पर बहुत पहले ही क़ानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया जा चुका

है, फिर भी धर्म के नाम पर आज भी कभी-कभी इस कुप्रथा के जारी रहने के उदाहरण मिल जाते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब हर ओर लूट-खसूट का बाज़ार गर्म हो, सरकार का हर विभाग रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ हो। पुलिस विभाग, न्यायपालिका और विधायिका जिनका कर्त्तव्य जनता की सुरक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना है, वे स्वयं ही जनता का शोषण करने लग जाएं। दूसरी ओर धर्म गुरु भी केवल "आत्म हत्या पाप है!" का नारा लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लें, तो ऐसे में एक सभ्य और सज्जन व्यक्ति, जो सच्चाई और ईमानदारी को ही अपनी सबसे मूल्यवान निधि समझता हो, क्या करे? क्या वह भी इस बिगड़ी व्यवस्था का अंग बनकर दूसरों को लूटने और छलने लग जाए? या फिर इस गंदगी से बचने के लिए मौत को गले लगा ले? निश्चय ही यह एक कठिन प्रश्न है, जिसका उत्तर भौतिक दृष्टि से दे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। इसलिए आइए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस मुश्किल सवाल का जवाब तलाश किया जाए।

अन्य धर्मों में इन्सान को अत्यंत निराशा की हालत में आत्महत्या से बचाने का कोई प्रभावकारी और अचूक इलाज है या नहीं, यह अन्य धर्मों के पेशवाओं, चिन्तकों तथा धर्म-शास्त्रियों के शोध का विषय हो सकता है। यहां हम केवल इस्लाम की शिक्षाओं का आकलन करेंगे और देखेंगे कि ये शिक्षाएं इस विषय में हमारा क्या मार्गदर्शन करती हैं।

जीवन का मूल उद्देश्य

इससे पहले कि हम आत्महत्या के विषय में इस्लामी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें, हम यह जान लें कि इस्लाम के नज़दीक हमारे जीवन का मूय उद्देश्य क्या है? क्योंकि आत्महत्या का सबसे बड़ा उत्प्रेरक और मूल कारण होता है, अपने इरादों में नाकाम हो जाना। यह उद्देश्य हर किसी की नज़र में भिन्न होता है और हर व्यक्ति अपनी समझ और क्षमता के अनुसार उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। फिर इन प्रयासों ही में

इन्सान के जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब उसे अपना यह प्यारा जीवन एकदम नीरस, निरर्थक तथा निरुद्देश्य प्रतीत होने लगता है। फिर उसका यह एहसास यहां तक बढ़ जाता है कि अन्ततः वह अपने ही हाथों अपने प्यारे जीवन को समाप्त कर बैठता है। एक ओर जीवन का इतना लोभ कि उसके लिए वैध-अवैध की सीमाओं की भी चिन्ता न करना और दूसरी ओर जीवन से इतनी विरक्ति कि अपने ही हाथों इसे समाप्त कर डालना, निश्चय ही अतिवाद की यह दोनों स्थितियां इन्सान के मानसिक असंतुलन ही को ज़ाहिर करती हैं।

इन्सान की उम्र बीत जाती है, यहां तक कि वह स्वाभाविक मृत्यु को पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढ़े से भी न मिलेगा जिसकी सारी इच्छाएं एवं अभिलाषाएं पूरी हो गई हों, चाहे भौतिक दृष्टि से वह कितना ही सफल क्यों न हो। इससे यह तथ्य सामने आता है कि इस संसार में किसी का जीवन भी परिपूर्ण नहीं है। हज़ारों कोशिशों के बाद भी जीवन के किसी न किसी कोने में कोई कमी, कोई अभाव और कोई अधूरापन रह ही जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है?

इस्लाम हमें बताता है कि यह दुनिया इन्सान का वास्तविक निवास स्थान है ही नहीं और न वह यहां हमेशा रहने के लिए आया है, बल्कि उसके रब ने उसे मात्र परीक्षा हेतु यहां भेजा है, यह देखने के लिए कि इस दुनिया में रहते हुए वह अपने प्रभु का आज्ञापालन करता है या ख़ुद अपनी इच्छाओं का दास बनकर जीता है? प्रभु की इच्छा क्या है? उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद? कौन से काम उसकी नज़र में भले काम हैं और उन्हें इन्सान को करना चाहिए? और कौन से काम उसकी नज़र में बुरे और गुनाह हैं, जिनसे इन्सान को बचना चाहिए? इसकी जानकारी देने के लिए उसने समय-समय पर अपने पैग़म्बरों (सन्देष्टाओं) को भेजा और सबसे अन्त में मुहम्मद (सल्ल.) को अपने आख़िरी पैग़ंबर के तौर पर चुना और उनपर अपनी आख़िरी किताब पवित्र क़ुरआन अवतरित की, जो समस्त मानवजाति के लिए मार्गदर्शक है।

इस्लाम हमें बताता है कि यह दुनिया हमारे लिए केवल एक परीक्षा-स्थल है। अगर हम यहां सर्वोच्च अल्लाह (ईश्वर) की निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखते हुए उसके आदेशों पर चलेंगे और उसके निषिद्ध ठहराए कामों से बचेंगे तो इस आज्ञापालन के प्रतिफल में पारलौकिक जीवन में हमें जन्नत (स्वर्ग) का सुख भोगने को मिलेगा। इसके विपरीत अगर हम अल्लाह की अवज्ञा करेंगे और उसकी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन

करेंगे तो हमें पारलौकिक जीवन में दंड स्वरूप जहन्नुम (नरक) की यातना झेलनी होगी जो इस सांसारिक दुखों और कष्टों से कहीं अधिक होगी और साथ ही शाश्वत भी।

इस्लाम की ये शिक्षाएं हमें इस वास्तविकता से परिचित कराती हैं कि इस दुनिया में इच्छाओं के पीछे भागना मात्र मरीचिका के पीछे भागने के समान है। अव्वल तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पीछे भागने वाले कभी संतुष्ट नहीं होता। दूसरे यह कि अगर वह कुछ प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी वह ख़ुशी भी अस्थायी होती है न कि स्थायी। क्योंकि मृत्यु निश्चित है, जो हर भौतिक सफलता-असफलता को निरर्थक सिद्ध करके रख देती है। अतः बुद्धिमान वही है जो भौतिक सफलता-असफलता को ही अधिक महत्त्व न देकर पारलौकिक सफलता को अपना जीवन-लक्ष्य बनाए, क्योंकि वही वास्तविक और बाक़ी रहनेवाली सफलता है।

आत्महत्या पाप और अपराध क्यों?

अब सवाल यह उठता है कि आत्महत्या पाप और अपराध क्यों है? एक आदमी जो ख़ुद को ख़त्म करता है वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, किसी को नुक़सान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह ख़ुद को ख़त्म करके धरती का बोझ ही कम करता है। फिर इस्लाम उसे जुर्म और गुनाह क्यों ठहराता है? और जुर्म भी ऐसा कि जिसकी सज़ा में उसे परलोक में हर समय उसी वेदना से गुज़रना पड़ेगा, जिससे गुज़रकर उसने ख़ुद को ख़त्म करना चाहा था। आख़िर इसके लिए इतनी सख़्त सज़ा का प्रावधान क्यों?

इस सन्दर्भ में सबसे पहली विचारणीय बात यह है कि क्या हम इस दुनिया में ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आ गए हैं? और हमारी अपनी संरचना में क्या हमारा ख़ुद का भी कोई योगदान है? ज़ाहिर है कि नहीं। तो फिर हमें ख़ुद को ख़त्म करने का अधिकार कैसे मिल सकता है? जो कुछ हमने नहीं बनाया उसे मिटाने के हक़दार हम कैसे हो सकते हैं? जब इस दुनिया में हम ख़ुद ही नहीं आ गए, बल्कि हमारी रचना करनेवाला और हमें जीवन प्रदान करनेवाला कोई और है तो फिर तर्कसंगत बात भी यही हो सकती है कि जब तक वह हमें ज़िंदा रखे, हमें ज़िंदा रहना चाहिए, यहां तक कि हम स्वभाविक मृत्यु को पहुंच जाएं। अपने आपको समाप्त करने वाला दरअस्ल ख़ुदा के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, इस वजह से इस्लाम ने आत्महत्या को जुर्म और गुनाह क़रार दिया है।

अपनी इच्छाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए जहां एक ओर इन्सान वैध तरीक़े अपनाते हुए कठिन परिश्रम करता है, वहीं बहुधा शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए अवैध तथा जटिल रास्ते अपनाने से भी नहीं हिचकता। यहां तक कि कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए वह अपने ही जैसे दूसरे इन्सानों की हत्या करने से भी नहीं हिचकता।

दूसरी बात यह कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति केवल अल्लाह के अधिकारों में हस्तक्षेप ही नहीं करता, बल्कि वह समाज का भी मुजरिम होता है। कोई भी व्यक्ति यहां केवल अपने दम पर जीवन नहीं गुज़ार सकता। जीवन में उसे बहुत से लोगों की सहायता एवं सहयोग लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बचपन में उसके मां-बाप उसकी परवरिश करते हैं, जवानी में पत्नी और फिर बच्चे उसके सहायक बनते हैं। उनके अलावा समाज के अन्य लोग भी समय-समय पर उसके काम आते रहते हैं। बल्कि सच तो यह है कि समाज एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग ही का नाम है। ऐसे में क्या यह उचित होगा कि कोई व्यक्ति अचानक अपने मां-बाप, भाई-बहन, बीवी-बच्चों, दोस्तों और समाज के अन्य लोगों के सहयोग और उपकारों को भुलाकर सारे समाज से नाता तोड़ ले? संभव है कि इसी समाज के कुछ लोगों ने उसके साथ धोखेबाज़ी भी की हो, उसका शोषण किया हो, लेकिन क्या यह न्यायोचित होगा कि किसी एक या कुछ लोगों के जुर्म की सज़ा सारे समाज को दे डाली जाए? और बजाय इसके कि जो समाज उसका सहायक रहा है, स्वयं उसका सहायक बनने के बजाय, उससे बेरुख़ी से मुंह मोड़ लिया जाये? क्या यह इस समाज के प्रति कृतघ्नता न होगी? और क्या ऐसे अपराधी को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए?

फिर यह कि आत्महत्या करनेवाला केवल अपने ही जीवन को समाप्त नहीं करता, बल्कि वह अपने जैसे दूसरे उन लाखों-करोड़ों लोगों को, जो अपने ग़मों और तकलीफ़ों का हिम्मत और हौसले के साथ सामना कर रहे होते हैं,

यह निराशा भरा सन्देश भी दे जाता है कि "दुखों और अभावों में जीना मात्र, मूर्खता है और इससे तो मर जाना ही बेहतर है!" ज़ाहिर है कि ऐसे निराशा और हताशापूर्ण सन्देश देनेवाले को मुजरिम नहीं तो और क्या कहा जाएगा?

आत्महत्या क्यों ?

यहां किसी के ज़ेहन में एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कष्ट अधिक मिले हों और आराम कम मिला हो, उसे दूसरों की सहायता एवं सहयोग तो कम मिला हो, लेकिन छल-कपट का सामना अधिक करना पड़ा हो। ऐसी स्थिति में अगर वह आत्महत्या करता है तो क्या तब भी उसे मुजरिम कहा जाएगा? कम-से-कम सामाजिक दृष्टि से तो उसे सहानुभूति का पात्र होना चाहिए।

अव्वल तो ऐसा बहुत कम होता है कि इन्सान को कष्ट ही कष्ट मिलें, और सुख और दूसरों का सहयोग मिले ही नहीं, या मिले तो बहुत कम मिले। यह और बात है कि मानव प्रकृति दुख एवं कष्टों को अधिक महसूस करती और उन्हें याद रखती है, इसके विपरीत सुख-चैन के दिनों को जल्दी भूल जाती है। दूसरे यह कि अगर यह मान भी लिया जाए कि किसी का जीवन कष्टों और अभावों से भरा हुआ है तो भी सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में आत्महत्या करने वाला ख़ुद को समाप्त करके आख़िर किसको सज़ा देना चाहता है? क्या जिन लोगों ने क़दम-क़दम पर उसके साथ छल-प्रपंच की नीति अपनाई और उसका शोषण किया, उन्हें उसके आत्महत्या कर लेने से किसी प्रकार का कष्ट पहुंचेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि वे तो और ख़ुश होंगे। दूसरी ओर वे लोग जो उससे हमदर्दी रखते होंगे और समय-समय पर उसके काम भी आते रहे होंगे, चाहे वे थोड़े ही क्यों न हों, उन्हें उसकी आत्महत्या से अत्यंत दुख होगा और गहरा आघात पहुंचेगा। इस तरह तो यह साबित होता है कि आत्महत्या एक ऐसा कृत्य है जो अपनों को दुख एवं वेदना और दुश्मनों को ख़ुशी और प्रसन्नता प्रदान करता है। ज़ाहिर है कि ऐसे कृत्य को मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता भी कहा जाए तो कम है।

समाज की ज़िम्मेदारी

उपर्युक्त पंक्तियों में आत्महत्या के जिन कुछ कारणों का जायज़ा लेते हुए उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं, वे चूंकि इन्सान के केवल व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं और व्यक्ति के आन्तरिक एवं वैचारिक परिवर्तन के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन इससे यह ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि आत्महत्या मात्र एक निजी समस्या है और अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो अकेला वह स्वयं उसके लिए ज़िम्मेदार होगा और समाज का इसमें कोई हिस्सा न होगा। ऐसा सोचना बहुत बड़ी नादानी होगी। वास्तविकता तो यह है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या तक ले जाने में जहां उसकी अपनी ग़लत सोच ज़िम्मेदार होती है, वहीं समाज के बनाए हुए ग़लत नियम-क़ायदे एवं रीति-रिवाज भी इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। बल्कि सच तो यह है कि व्यक्ति की ग़लत सोच भी समाज ही की प्रदान की हुई होती है।

एक ऐसा समाज जो भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भाग रहा हो, जहां सांसारिक सफलता-असफलता के आधार पर ही इंसान को आंका जाता हो, जहां एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने और एक दूसरे को नीचा दिखाने का चलन आम हो, जहां ग़रीब ज़रूरतमंद को दया का पात्र समझने के बजाय उसे अपना लाभ बढ़ाने का ज़रिया समझा जाता हो और उसे सूद के 'मकड़जाल' में जकड़कर उसका हर प्रकार का शोषण करने में ज़रा भी शर्म न महसूस की जाती हो, ऐसे समाज में कोई स्वस्थ एवं सकारात्मक विचारधारा कैसे फल-फूल सकती है? जिस समाज में बड़े-बड़े बुद्धिजीवी भी इसी दुनिया को सब कुछ समझ रहे हों और इसी भौतिक सफलता को प्राप्त करने में प्रयासरत हों, वहां बेचारा एक आम आदमी जो अधिक गहराई से सोचना भी नहीं जानता, किस तरह भौतिक सुख-सुविधाओं की उपेक्षा करके और परलोक की अवधारणा को अपनाकर उसे अपनी जीवन का लक्ष्य बना सकता है? अतः हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी है कि हम जीवन के प्रति इस ग़लत और भ्रामक सोच में परिवर्तन लाएं और लोगों को यह बताएं कि यह दुनिया इच्छाएं पूरी करने की जगह है ही नहीं। अतः अगर यहां हमारी कोई तमन्ना पूरी नहीं हो पाती है या हमारी कोई कोशिश नाकाम हो जाती है तो हमें निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यह कोशिश ईश्वर के यहां दर्ज की जा चुकी है और निश्चय ही आख़िरत में हमें उसका प्रतिदान मिलेगा। जैसा कि पवित्र क़ुरआन में अल्लाह ने हमसे वादा भी किया है-

"फिर जो अच्छे कर्म करेगा, शर्त यह है कि वह मोमिन (आस्थावान) हो, तो उसके प्रयास की उपेक्षा न होगी। हम तो उसके लिए उसे लिख रहे हैं।"

(क़ुरआन, 21:94)

अलबत्ता हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारा प्रयास एवं संघर्ष अल्लाह के आदेशों के अधीन हो और उसके आदेशों के ख़िलाफ़ न हो, अन्यथा हमारी सारी कोशिश व्यर्थ हो

जाएगी और उसकी सज़ा में हमें दर्दनाक यातना झेलनी पड़ेगी। पवित्र क़ुरआन में अल्लाह का कथन है-

"कहो : क्या हम तुम्हें उन लोगों की ख़बर दें, जो अपने कर्मों की दृष्टि से सबसे बढ़कर घाटा उठानेवाले हैं? ये वे लोग हैं जिनका प्रयास सांसारिक जीवन में अकारथ गया और वे यही समझते हैं कि वे बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं।"

(क़ुरआन, 18:103-104)

परलोक की यह अवधारणा निस्सन्देह निराश एवं हताश इन्सान के लिए एक बहुत बड़ा संबल है और यह इसी अवधारणा का प्रतिफल है कि इस्लामी शिक्षाओं से नाम मात्र अवगत होने तथा व्यावहारिक जीवन में भी शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से बहुत अधिक पिछड़े होने के बावजूद मुसलमानों में आत्महत्या करनेवालों का प्रतिशत अन्य क़ौमों की तुलना में बहुत ही कम पाया जाता है, बल्कि यह न होने के बराबर ही है। और अगर कभी कोई मुस्लिम व्यक्ति आत्महत्या करता भी है तो उसके बारे यही कहा जा सकता है कि वह बेचारा इस्लाम से परिचित ही नहीं था।

परलोक की यह अवधारणा लोगों के मन में बिठा देने के साथ ही हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हमें व्यावहारिक रूप से भी बेसहारा और परेशान हाल लोगों का साथ देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनके प्रति हमारी लापरवाही ही उनकी आत्महत्या का कारण बन जाए और हमें कल ख़ुदा के सामने उसके लिए जवाबदेह होना पड़े।

सरकार तथा प्रशासन की ज़िम्मेदारी

समाज के साथ-साथ सरकार और प्रशासन भी व्यक्ति को आत्महत्या की ओर ले जाने में पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं। पुलिस विभाग जिसे ज़ालिमों से जनता की सुरक्षा करनी चाहिए और अपराधियों को सज़ा दिलवानी चाहिए, वह ठीक इसके विपरीत काम कर रहा है। वह मुजरिमों का तो पृष्ठपोषक बना हुआ है और निर्दोष जनता के लिए दमनकारी बना हुआ है। न्याय-व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है और क्यों न ख़त्म हो? अव्वल तो आम आदमी को इन्साफ़ मिलना ही टेढ़ी खीर होता है और अगर किसी मामले में इन्साफ़ मिलता भी है तो वर्षों अदालतों के चक्कर काटने और अपना बहुत-सा क़ीमती समय और पैसा बर्बाद करने के बाद।

सरकार तथा प्रशासन की इस तरह की कमज़ोरियां भी व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और सबसे बड़ा अभिशाप तो ब्याज व्यवस्था का वह चलन है जिसके कारण आर्थिक असमानता और अमीर-ग़रीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ग़रीब बेचारा जो एक-बार ब्याज के इस 'मकड़जाल' में फंस जाता है तो फिर इससे निकलना उसके लिए लगभग असंभव ही हो जाता है। अतः अगर सरकार वास्तव में जनता का हित चाहती है और आत्महत्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकना चाहती है, तो उसे सबसे पहले ब्याज व्यवस्था के इस अभिशाप को ख़त्म करना होगा, क्योंकि सबसे अधिक आत्महत्या की घटनाएं इसी सूदी क़र्ज़ के कारण घटित होती हैं। दूसरे यह कि प्रशासन में भी अन्य सुधारों के साथ-साथ उसे पुलिस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करना होगा, ताकि आम आदमी को राहत मिले और वह ख़ुद को सुरक्षित महसूस करे। इसके अलावा न्याय-व्यवस्था को भी और सक्रिय एवं

पत्र-पत्रिकाओं में आए दिन आत्महत्या से संबंधित समाचार पढ़ने में आते रहते हैं, बल्कि शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता हो जब आत्महत्या से संबंधित कोई ख़बर न मिलती हो। कभी कोई युवा जोड़ा प्रेम में असफल होकर मौत को गले लगाता है, तो कभी कोई छात्र परीक्षा में फ़ेल होने पर अपने जीवन को ख़त्म कर डालता है। कभी कोई व्यक्ति समाज में फैल रही बदनामी के दुख में या बदनामी फैल जाने की आशंका से, मौत का प्याला पीता है, तो कभी कोई व्यक्ति ग़रीबी और अपने बच्चों को भूख एवं छोटी-छोटी मौलिक आवश्यकताओं के लिए तरसते देखकर और ख़ुद को इस समस्या के सुलझा पाने में विवश एवं असहाय पाकर घबरा उठता है। यहां तक कि वह फिर अपने ही हाथों अपने परिजनों को समाप्त करके ख़ुद भी हमेशा की नींद सो जाता है।

प्रभावकारी बनाना होगा, ताकि इन्साफ़ मिलने में असाधारण विलम्ब पीड़ित को निराशा के चरम पर न पहुंचाए और वह घबराकर आत्महत्या के बारे में न सोचने लगे।

आत्महत्या : इस्लाम की नज़र में

जहां तक आत्महत्या का संबंध है, इस्लाम स्पष्ट शब्दों में इस कृत्य को पूर्ण रूप से हराम क़रार देता है। पवित्र क़ुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है-

"और अपने आपको क़त्ल न



करो।" (क़ुरआन, 4:29)

आत्महत्या के संबंध से पवित्र क़ुरआन का यह आदेश अगरचे बहुत संक्षिप्त मालूम होता है, लेकिन हदीसों के अध्ययन से इसके अर्थ को भली-भांति समझा जा सकता है।

जुनदुब-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि.) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा, "तुममें से पहले के लोगों में एक व्यक्ति था, उसे ज़ख़्म लग गया था, जिसकी वजह से बेक़रार होकर उसने एक छुरी ली और अपना हाथ काट डाला। फिर ख़ून बंद न हुआ, यहा तक कि वह मर गया। अल्लाह ताला ने कहा-''मेरे बंदे ने अपनी जान देने में जल्दबाज़ी से काम लिया, इसलिए मैंने जन्नत उस पर हराम कर दी।" (हदीस : बुख़ारी)

और अबू-हुरैरा (रज़ि.) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल.) ने कहा, "जिस व्यक्ति ने अपने को पहाड़ से गिराया और अपनी जान ले ली, तो वह जहन्नम की आग में अपने को गिराता रहेगा और हमेशा-हमेशा के लिए वह इसी हाल में रहेगा। और जिसने ज़हर पीकर ख़ुद को मार डाला, उसका ज़हर उसके हाथ में होगा और वह उसे जहन्नम की आग में हमेशा-हमेशा पीता रहेगा। और जिसने अपने आपको लोहे की किसी चीज़ से मार डाला तो लोहे की वह चीज़ उसके हाथ में होगी जिसे वह जहन्नम की आग में अपने पेट में मारता रहेगा और हमेशा-हमेशा इसी हाल में रहेगा।" (हदीस : बुख़ारी)

यानी इन्सान जिस तरह से भी आत्महत्या करेगा परलोक में वही तरीक़ा दंडस्वरूप उसकी तक़दीर बना दिया जाएगा और वह हर लम्हा जहन्नम में उसी कष्ट एवं वेदना से गुज़रता रहेगा जिससे गुज़रकर उसने ख़ुद को ख़त्म करना चाहा था, यह सोच कर कि इससे तमाम दुखों एवं कष्टों का अन्त हो जाएगा।

दूसरे अपराधों एवं पापों के बाद तो यह संभव भी है कि बाद में ग़लती का एहसास होने पर इन्सान ख़ुदा से माफ़ी मांगकर उसका प्रायश्चित भी कर सकता है, लेकिन आत्महत्या एक ऐसा अपराध और गुनाह है कि जिसके बाद माफ़ी का कोई मौक़ा ही नहीं रहता। इसलिए अगर यह कहा जाए कि यह इन्सान की सबसे बड़ी मूर्खता है तो अतिशयोक्ति न होगी।

आत्महत्या से रोकने में इस्लाम की भूमिका

अब आइए देखते हैं कि इस्लामी शिक्षाएं किस प्रकार निराश एवं हताश व्यक्ति को संबल प्रदान करती हैं और उसे अति कठित परिस्थितियों से मुक़ाबला करने की प्रेरणा देती हैं। इस सन्दर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यही है कि इस्लाम निराशा को ही ईमान (ईश्वर में आस्था) के विरुद्ध क़रार देता है। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है-

"अल्लाह की सहृदयता से निराश न हो। अल्लाह की सहृदयता से तो केवल कुफ़्र (इन्कारी) करनेवाले ही निराश होते हैं।" (क़ुरआन, 12:87)

यानी इस्लाम के निकट इन्सान के लिए अनिवार्य है कि वह हर हाल में अल्लाह पर पूरा विश्वास रखे और उसकी दयालुता से कभी निराश न हो। और अगर वह निराश होकर हिम्मत हार जाता है तो इसका साफ़ मतलब होगा

कि उसे ख़ुदा की दयालुता पर भरोसा ही नहीं है।

इस्लाम हमें यह भी बताता है कि हमारी सफलता-असफलता, मान-अपमान और सुख-दुख सब कुछ अल्लाह की नियति पर निर्भर है। पवित्र क़ुरआन में अल्लाह ने हमें यह आदेश दिया है-

"कहो : ऐ अल्लाह, राज्य के स्वामी! तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे राज्य छीन ले। तू जिसे चाहे इज़्ज़त (प्रभुत्त्व) प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानति कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। निस्संदेह तुझे हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है।" (क़ुरआन, 3:26)

अल्लाह के अधिकार में सब कुछ होने का यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारा अस्तित्व मात्र किसी कठपुतली के समान है और हम जो कुछ भी करें उसके लिए ख़ुद हम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ऐसा सोचना बड़ी नादानी की बात होगी। दरअस्ल इस आयत में अल्लाह के प्रभुत्त्व की अवधारणा मन में बिठाई गई है, जिससे यह बताना अभीष्ट है कि प्रयास के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेना इन्सान के अधिकार में नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह अल्लाह की कृपा पर निर्भर है और अल्लाह को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह हमारे प्रयासों को सफलता दिलाए या हमारे इरादों को असफल कर दे। अलबत्ता जहां तक ख़ुद हमारे कर्मों का सवाल है तो निस्सन्देह हम उसके लिए पूरे ज़िम्मेदार हैं। पवित्र क़ुरआन में कहा गया है-"यह कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और यह कि मनुष्य के लिए बस वही है जिसके लिए उसने प्रयास किया।"

(क़ुरआन, 53:38-39)

इन आयतों में यह बताया गया है कि आख़िरत में हर व्यक्ति केवल अपने कर्मों का बदला पाएगा और यह कि उसका अपना प्रयास ही ईश्वर के निकट महत्त्वपूर्ण और सम्मान योग्य क़रार पाएगा। अब अगर यह प्रयास अच्छे और सकारात्मक कार्यों की दिशा में किया गया होगा तो हमें इसका उत्तम प्रतिफल मिलेगा। इसके विपरीत अगर हमारे प्रयास बुरे और नकारात्मक कार्यों के लिए किए गए होंगे तो हमें उसके लिए सज़ा भुगतनी होगी, चाहे दुनिया में हमें अपने इन प्रयासों में सफलता मिली हो या असफलता।



इस तरह हम कह सकते हैं कि इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार, अल्लाह की नज़र में हमारा अपना 'प्रयास' ही सबसे महत्त्वपूर्ण है, न कि इस प्रायस में पूरी तरह सफलता प्राप्त कर लेना।

अंत में...

सरकार अपने कर्त्तव्यों को कहां तक समझती और उन्हें निभाती है और निभाती भी है या नहीं, यह बाद की बात है, लेकिन हमको बहरहाल हालात का मुक़ाबला करना है और किसी भी हाल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हमने सब्र खो दिया और निराशा में कोई ग़लत क़दम उठा लिया तो हम अपने दुश्मनों को हंसने और अपने हितैषियों को दुख देने का कारण तो बनेंगे ही साथ ही परलोक में ख़ुद को अपने प्रभु की पकड़ से भी न बचा सकेंगे। इसी लिए कुशलता इसी में है कि उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा जाए, यहां तक कि या तो ख़ुदा की मदद हम तक पहुंच जाए या हम स्वाभाविक मृत्यु को पहुंच जाएं।

ग़ौरतलब है कि इस्लाम ने जहां इंसान को आत्महत्या से रोका है वहीं उसने मौत की तमन्ना करने से भी मना कर दिया है-

हज़रत अनस (रज़ि.) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने कहा-"तुम में से कोई (शारीरिक या आर्थिक) कष्ट के कारण, जो उसे पहुंचे, मौत की तमन्ना न करे। और अगर इस प्रकार की तमन्ना करना उसके लिए अपरिहार्य हो जाए तो उसे यह कहना चाहिए-''ऐ अल्लाह! मुझे उस वक़्त तक ज़िंदा रख जब तक जीवन मेरे लिए बेहतर हो, और मुझे उस वक़्त मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

इस्लाम की ये शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि हमें हर हाल में हालात का मुक़ाबला करना चाहिए और निराश और हताश होकर आत्महत्या का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ■■

कविता

दूसरा बनवास

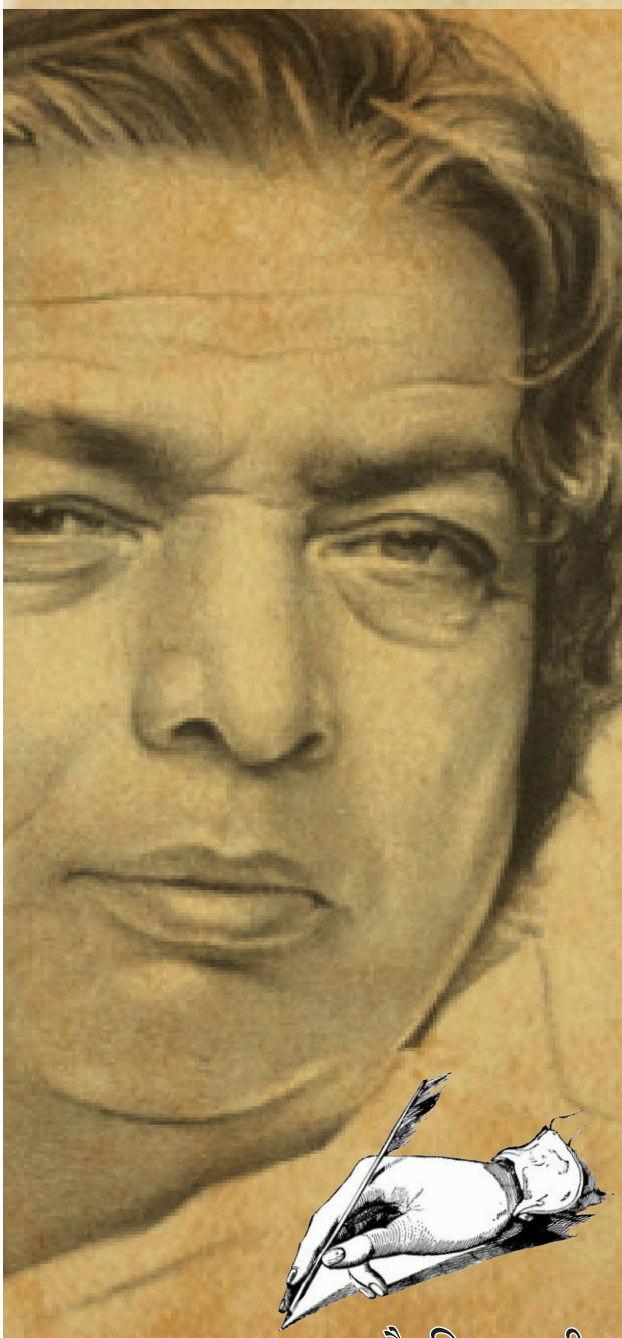

राम बनवास से जब लौटकर घर में आये
याद जंगल बहुत आया जो नगर में आये
रक्से-दीवानगी आंगन में जो देखा होगा
छह दिसम्बर को श्रीराम ने सोचा होगा
इतने दीवाने कहां से मेरे घर में आये

धर्म क्या उनका है, क्या जात है ये जानता कौन
घर ना जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन
घर जलाने को मेरा, लोग जो घर में आये

शाकाहारी हैं मेरे दोस्त, तुम्हारे ख़ंजर
तुमने बाबर की तरफ़ फेंके थे सारे पत्थर
है मेरे सर की ख़ता, ज़ख़्म जो सर में आये

पांव सरयू में अभी राम ने धोये भी न थे
कि नज़र आये वहां ख़ून के गहरे धब्बे
पांव धोये बिना सरयू के किनारे से उठे
राम ये कहते हुए अपने दुआरे से उठे
राजधानी की फ़ज़ा आई नहीं रास मुझे
छह दिसम्बर को मिला दूसरा बनवास मुझे।

कैफ़ी आज़मी

साहस को सलाम

गुजरात में बीते माह मोरबी पुल हादसे में 140 से अधिक लोगों की जान चली गई। हादसे के दौरान पुल पर लगभग 500 लोग मौजूद थे, इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे जो अपने प्रियजनों के साथ छठ पूजा के अवसर पर यहां एकत्रित हुए थे।

उल्लेखनीय है कि इस विनाशकारी हादसे के दौरान कुछ लोग अच्छे सामरी बनकर सामने आए और तैरकर 80 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकालकर उनकी जानें बचाई। इन लोगों में तौफ़ीक़ भाई, हुसैन पठान और नईम शेख़ के नाम प्रमुख हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम अज्ञात हैं।



पठान को शाम क़रीब 6 बजे फ़ोन आया कि केबल पर लटका पुल गिर गया है और लोगों को डूबने से बचाने के लिए उसकी ज़रूरत है। एक अच्छे तैराक होने के नाते, हुसैन उस जगह के लिए रवाना हो गए और अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना, लगभग 50 लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने में मदद की। वहीं तौफ़ीक़ भाई ने 35 ज़िंदगियों को अस्पताल पहुंचाया। आज पूरा देश इन लोगों के जज्बे और साहस को सलाम कर रहा है।

अनोखा संयोग

अफ़सर अली और अंकुर नेहरा को गुर्दे की बीमारी थी, अफ़सर के भाई अकबर अली ने अपना गुर्दा देना चाहा, लेकिन अफ़सर से उनका गुर्दा मैच नहीं हुआ। उधर अंकुर को उनकी मां अनीता ने गुर्दा देना चाहा, लेकिन उनके गुर्दे मैच नहीं हुए। डॉक्टरों ने बताया कि अनीता अफ़सर को गुर्दे डोनेट कर सकती है। वहीं अंकुर को अकबर का गुर्दा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। फिर ऐसा ही हुआ। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों परिवारों को मिलाया इसके बाद दोनों परिवारों ने एक-दूसरे के परिजनों ने गुर्दे डोनेट करने पर हामी भर ली। दोनों परिवार के लोग बताते हैं जब आसपास के लोगों को पता चला कि हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे को गुर्दा डोनेट करने वाले हैं तो वो हैरान रह गए। बीबीसी से बात करते हुए अफ़सर अली कहते हैं, "यही तो इंसानियत है कि हिंदू मुसलमान के काम आए और मुसलमान हिंदू के। अब ऑपरेशन के कई महीने बीत चुके हैं। अफ़सर और अंकुर, दोनों की हालत पहले से बेहतर है।





कितने दूर कितने पास?

ज्वलंत



डॉ. प्रदीप कुमार

वर्ष 2022 का वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी हो चुका है। इसकी रिपोर्ट में भारत को 121 देशों की सूची में 107वें पायदान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष के मुक़ाबले छह अंक और नीचे है। ग़ौरतलब है कि भूख और कुपोषण पर नज़र रखने वाले वैश्विक भुखमरी सूचकांक की इस ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़ भूख की समस्या से निपटने के मामले में भारत अपने कई कमज़ोर समझे जाने वाले पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया है। श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भी अगर भुखमरी से निपटने के मामले में हम से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यह स्थिति हमारे नीति नियंताओं से इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की मांग करती है।

इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। आर्थिक दिक़्क़तों से जूझ रहे श्रीलंका की स्थिति भी हम से बहुत ऊपर है। उसे इस सूचकांक में 64वां स्थान दिया गया है। भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश नेपाल 81वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 84वें स्थान पर है।

कुपोषित आबादी के मामले में हमारे देश की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। भारत इसी बात से ख़ुश है कि ब्रिटेन को पछाड़कर वह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले कई सालों से लगातार हमारे देश में आंकड़ों के ज़रिए विकास की चमकती तस्वीर पेश की जाती रही है, लेकिन आम लोगों के जीवन-स्तर में कोई सुधार आने के बजाय उसमें लगातार गिरावट ही दर्ज की जा रही है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मूल्यांकन बताता है कि पूरे विश्व में भुखमरी और इससे संबंधित बीमारियों से



पीड़ित देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है। यहां 18.92 करोड़ लोग यानी कुल जनसंख्या का चौदह फ़ीसद भाग भुखमरी से जूझ रहा है। आंकड़े इसलिए और भयावह हैं कि इसमें 51.4 फ़ीसद प्रजनन योग्य महिलाएं (15-49 साल) ख़ून की कमी से पीड़ित हैं, पांच साल से कम उम्र के 34.6 फ़ीसद बच्चे कुपोषण का शिकार हैं तथा चौदह फ़ीसद ऐसे हैं, जिनका वज़न अपनी उम्र के अनुकूल नहीं है।

वर्तमान परिदृश्य, विभिन्न आंकड़ों और वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2020-22 के आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि वर्ष 2030 तक हमारा 'शून्य भुखमरी' के लक्ष्य को प्राप्त करना तो दूर, हम इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकते।

भोजन जीवन के लिए न्यूनतम कसौटी है, यदि इसके लिए भी लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो तो यह एक गंभीर सवाल है और यह सवाल पिछले कई वर्षों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। तथ्य यह भी है कि इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए अभी कुछ भी ठोस नहीं किया गया है।

बीते सात दशकों से इस समस्या पर क़ाबू पाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन विकास के तमाम दावों के बावजूद हम अभी भी भुखमरी और कुपोषण जैसी बुनियादी समस्याओं की चपेट से बाहर नहीं निकल सके हैं। बड़े पैमाने पर देश में खाद्यान्न का उत्पादन होने के बावजूद बाज़ार में महंगाई की वजह से बहुत सारे लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी हो गई है। एक ओर हम अपने देश की मज़बूत आर्थिक स्थिति को लेकर ढिंढोरे पीट रहे हैं और दूसरी ओर देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो दीर्घकालिक भुखमरी और कुपोषण या अल्प पोषण की समस्या से जूझ रहे हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन का मूल्यांकन बताता है कि पूरे विश्व में भुखमरी और इससे संबंधित बीमारियों से पीड़ित देशों की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है। यहां 18.92 करोड़ लोग यानी कुल जनसंख्या का चौदह फ़ीसद भाग भुखमरी से जूझ रहा है। आंकड़े इसलिए और भयावह हैं कि इसमें 51.4 फ़ीसद प्रजनन योग्य महिलाएं (15-49 साल) ख़ून की कमी से पीड़ित हैं, पांच साल से कम उम्र के 34.6 फ़ीसद बच्चे कुपोषण का शिकार हैं तथा चौदह फ़ीसद ऐसे हैं, जिनका वज़न अपनी उम्र के अनुकूल नहीं है।

सवाल उठता है कि आज भी हमारे देश की ऐसी हालत क्यों है कि दुनिया की कुपोषित आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे देश में रहता है और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 107वें स्थान पर रहता है। सवाल यह भी है कि आज़ादी के पचहत्तर वर्षों के बाद भी भारत से भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नहीं किया

जा सका?

नवपूंजीवाद और बाज़ार का ढ़ांचा इस समस्या की सबसे बड़ी वजह है। यह एक गंभीर समस्या है और इस समस्या पर हमारी ख़ामोशी अच्छी नहीं है। हमारे देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या खाद्यान्नों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि आहार ख़रीदने की क्रयशक्ति कम होने के कारण है। तमाम अध्ययन यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारत अपनी पूरी जनसंख्या को अनाज उपलब्ध कराने में सक्षम है।

क्रयशक्ति कम होने के कारण लोग पौष्टिक आहार ख़रीदने में असमर्थ रहते हैं, परिणामस्वरूप कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं और लोगों की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। अंततः इसके शिकार लोग ग़रीबी के दुष्चक्र में फंसने लगते हैं।

हालांकि इस समस्या पर क़ाबू पाने के लिए हमारी केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ये योजनाएं मात्र काग़ज़ी बनकर रह गई हैं। ज़मीनी स्तर पर इसके ख़ास परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं। इन पर करोड़ों रुपये ख़र्च भी किए जा रहे हैं, मगर इनका पूरा लाभ ग़रीबों तक नहीं पहुंच पाता है।

वैश्विक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत में भुखमरी और कुपोषण की दयनीय दशा के कारण कई सवाल तो उठते ही हैं। भूख से बचाव यानी खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एक बुनियादी अधिकार है, जिसके तहत सभी को ज़रूरी पोषक तत्त्वों से परिपूर्ण भोजन उनकी ज़रूरत के हिसाब, समय पर और गरिमामय तरीक़े से उपलब्ध करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व होना चाहिए, लेकिन भारत में विकास की यह विरोधाभासी तस्वीर वाक़ई सोचने को बाध्य कर देती है।

विश्व गुरु बनने और बुलेट ट्रेन का सपना संजोते देश ने दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता तो अर्जित कर ली, लेकिन वह भुखमरी के अभिशाप से मुक्त नहीं हो सका। ऐसा लगता है कि हमारे नीति नियंताओं के प्रयासों में या तो प्रतिबद्धता नहीं है या इस दिशा में किए गए प्रयासों की दिशा ही ग़लत है।

समय के साथ हमारे देश में भूख की समस्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, जिससे भूख से दीर्घकालिक छुटकारे की कोई राह निकले। सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को यह सोचना होगा कि देश के विकास का लाभ समाज के निचले तबक़ों में अपने आप नहीं पहुंचता। देश के भविष्य से जुड़ी इस गंभीर समस्या से निपटना हमारी सरकारों की अहम ज़िम्मेदारी है। इसलिए सरकारों से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि वह इस समस्या को दूर करने की दिशा में प्राथमिकता के साथ काम करें।

यदि कोई व्यक्ति भूख जैसी समस्या का सामना करता रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कैसे दे सकेगा? देश में भूख और कुपोषण की समस्या को तभी हल किया जा सकता है, जब इस लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकारें अपनी-अपनी योजनाओं को प्रभावी और बेहतर ढंग से लागू करें। इस दिशा में खाद्य सुरक्षा क़ानून और रोज़गार गारंटी से संबंधित योजनओं को मज़बूती से लागू किया जाना चाहिए साथ ही हमें ऐसा तंत्र भी विकसित करना होगा कि ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने पाएं।

■■



वर्तमान परिदृश्य, विभिन्न आंकड़ों और वैश्विक भुखमरी सूचकांक- 2021-22 के आंकड़े यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि वर्ष 2030 तक हमारा 'शून्य भुखमरी' के लक्ष्य को प्राप्त करना तो दूर, हम इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकते।

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

एक नज़र में

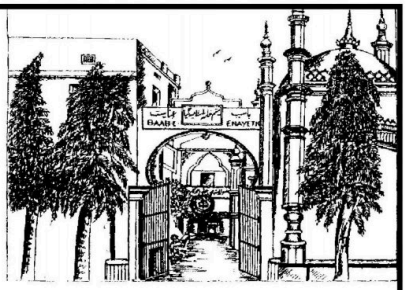

दीनी व असरी उलूम की अपने तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह

● सालह ख़िदमात ● बहुत सारे शोबाजात तालीमी मराहिल दर्जा अतफ़ाल ता मैट्रिक (Matric) शोबा हिफ़्ज़-ओ-नाजरह हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक बिहार स्कूल बोर्ड एक्ज़ामिनेशन हर साल का सद फ़ीसद 100% रिजल्ट ● फासलाती (Distance Education) I.A, B.A, M.A. और लाइब्रेरी साइंस (Blis) में 2022-23 के सेशन के लिए दाख़िला जारी (स्टडी सेन्टर यतीमख़ाना गया) मंज़ूरशुदा : मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ● कम्प्यूटर (Computer) की भी तालीम कफाला स्कीम के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च बीस हज़ार (Rs. 20,000) रुपये 70 यतीम तलबा जिनका सारा ख़र्च इदारा ही बर्दाश्त करता है। सालाना ख़र्च 25 लाख रुपये से ज़ायद ज़रिया-ए-आमदनी मुस्लिम अवाम के चन्दे ● आप जिस शक्ल में मुमकिन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह तआला से अज्र अज़ीम हासिल करें। तआवुन की शक्लें मसलन ● ज़कात ● अतियात ● सदक़ात ● पैदावार की ज़कात ● चिर्म-ए-क़ुरबानी ● एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च ● बैंक (Bank) के सूद (Interest) की वह रक़म जो मुसलमानों के लिए हराम है। ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवा दें वग़ैरह।

तीन बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो बैंक से सूद (Interest) के तौर पर मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम तलबा की जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यहां हर साल (Audit) भी कराया जाता है। ❸ आप इदारा में पहुंचकर मसावात का मिसाली और अमली नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस तरह यतीम और ग़ैर-यतीम बच्चे मिलकर रहा करते हैं।

नोट : इनायत आई.टी.आई. (Enayeth I.T.I.) की दुमंज़िला इमारत खड़ी हो गई है और दाख़िला जुलाई 2018 ई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Electrician Trade) से ही शुरू है। दूसरा ट्रेड फीटर (Fitter) का है। दोनों में दाख़िला 2022-2024 के लिए जारी है। यह N.C.V.T. (भारत सरकार) से मंज़ूरशुदा है। ❷ पुरफ़िज़ा मक़ाम, पुरसुकून माहौल, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम। ❸ यतीम तलबा जिनके वालिद का इन्तिक़ाल हो चुका है उनके क़याम-ओ-तआम के साथ-साथ एक बेटे की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ❹ बैरूनी तलबा के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल का भी नज्म है। ❺ क़ौम के मुअज्ज़ज़ हज़रात से गुज़ारिश है कि क़ौम के यतीम बच्चों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए ज़हमत करें और तवज्जोह दिलाएं। ❻ इनायत आई.टी.आई. (I.T.I.) में यतीमख़ाना में पढ़ने वाले यतीम तलबा का दाख़िला, तालीम मअ-तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

इदारा आप से फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह क़दीम इदारा माली बुहरान में मुबतला है। दुश्वारियों का सामना है। आमदनी घट कर कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : "The Gaya Muslim Orphanage"
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Orphanage"

बराए राबता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)
Hon. Secretary, The Gaya Muslim Orphanage
Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India

Indian Donors : भारतीय चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Orphanage
Bank A/c No. : 300402010010581
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)
IFS Code No. : UBIN0530042

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

Mobile : 09801213022, 09955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in / Website : www.gmogaya.in

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

एज़ाज़ी नाज़िम डॉ. ज़ेड. एच. ख़ान सदर डॉ. फ़रासत हुसैन



हिजाब : मत, अभिमत और विमत

समसामयिक



नईम अलहिन्दी

हमारे देश में लंबे समय तक हिजाब मामले को लेकर विवाद का बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है। बीते दिनों भारत के सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद थी कि कोई निर्णायक फ़ैसला आएगा, लेकिन इस मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जजों की राय अलग-अलग होने के कारण यह मामला फ़िलहाल अधर में लटक गया है। अब यह मामला बड़ी पीठ को सौंप दिया जाएगा, ताकि स्पष्ट फ़ैसला आ सके।

किसी मामले पर पूरी सुनवाई के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एकमत न होना भारत जैसे देश के लिए कोई विचित्र बात नहीं है। यहां सभी नागरिकों को धर्म, संस्कृति, अभिव्यक्ति, पसंद और नापसंद की आज़ादी संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। यहां क़ानून और जीवन की अपनी-अपनी व्याख्याएं हैं, जिनके आधार पर कोई हिजाब को सही मानता है, तो कोई इसके ख़िलाफ़ है। सच तो यह है कि इस मामले में देश भी एकमत नहीं है और न ही कभी हो सकता है।

हिजाब मामले पर पक्ष और विपक्ष के तर्कों से इतर यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि यह विवाद उठा ही क्यों? और यदि उठा तो इसे इतना तूल क्यों दिया गया। वर्तमान समय में हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही मामूली-मामूली विषयों पर देश में चर्चा हो रही है और ऐसे विषयों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो नफ़रत बढ़ाने और समाज को बांटने के काम आते हैं।

बेकार के मुद्दों को तूल देकर व्यर्थ की बहसों को जन्म दिया जाता है। जिससे न तो देश का कोई भला होना है और न समाज का। यदि बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो इन बहसों को तूल देने के पीछे की नीति और नीयत को आसानी से समझा जा सकता है, किन्तु हमारे देश



में लोगों की भावनाएं तो आहत होती हैं, परंतु बुद्धि आहत कभी नहीं होती।

देश के लोगों ने इस विषय पर ख़ूब चर्चा की है, अब आगे भी चर्चा जारी रहेगी और उसमें समय-संसाधन और ऊर्जा व्यय होगी। सर्वोच्च न्यायालय में शायद अब प्रधान न्यायाधीश को हस्तक्षेप करना होगा, वही बड़ी पीठ के गठन का फ़ैसला करेंगे। दोबारा सुनवाई शुरू होगी और गोदी मीडिया इस पर अपनी ढ़फली बजाएगा और अपना राग अलापेगा। चूंकि इस मामले के पक्ष और विपक्ष दोनों ओर लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा है, इसलिए इस विषय पर अब राजनीति होने की गुंजाइश और बढ़ गई है।

बात यदि कर्नाटक के स्कूल, कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की करें तो दो जजों की बेंच का फ़ैसला पूरी तरह से बंटा हुआ आया। एक जज ने कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन के फ़ैसले को सही ठहराया है, तो दूसरे जज ने ग़लत। नतीजतन अब मामला बड़ी बेंच में चला गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फ़ैसले और राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया।

ग़ौरतलब है, 15 मार्च को कर्नाटक के उडुपी की कुछ छात्राओं ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की मंज़ूरी के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इन्कार कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की तरफ़ से कर्नाटक हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक नहीं लगाए जाने के चलते कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश वैध रहेगा। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक जारी रहने से अनेक छात्राओं की

हिजाब मामले पर पक्ष और विपक्ष के तर्कों से इतर यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है कि यह विवाद उठा ही क्यों? और यदि उठा तो इसे इतना तूल क्यों दिया गया। वर्तमान समय में हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही मामूली-मामूली विषयों पर देश में चर्चा हो रही है और ऐसे विषयों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो नफ़रत बढ़ाने और समाज को बांटने के काम आते हैं।

परेशानी भी जारी रहेगी।

इस मामले में हिजाब के पक्षधर लोगों को जस्टिस धूलिया की टिप्पणियां अधिक तर्कसंगत प्रतीत हुई, क्योंकि जस्टिस धूलिया का कहना था कि हिजाब पहनना एक व्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत सुरक्षित है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि इस फ़ैसले में क़ुरआन की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिजाब मज़हब का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की ज़रूरत ही नहीं थी। छात्राओं की पसंद का सम्मान करना चाहिए। लड़कियों को शिक्षा मिल सके ये ज़रूरी है न कि ये ज़रूरी है कि उनको क्या ड्रेस पहनना चाहिए। जस्टिस धूलिया ने कहा कि कई इलाक़ों में लड़कियां स्कूल जाने से पहले घर का भी काम करती हैं। अगर हम इस पर बैन लगाते हैं तो लड़कियों की ज़िंदगी और मुश्किल होगी।

जस्टिस धूलिया ने कहा कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही अप्रोच नहीं अपनाया। हाईकोर्ट ने ग़लत रास्ता पकड़ा। यह पसंद का मामला है, आर्टिकल 14, 19 और 25 से जुड़ा मामला है। यह मात्र पसंद से जुड़ा मामला है, न इससे कुछ ज़्यादा और न इससे कुछ कम और हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं।

जमाअत इस्लामी हिन्द समेत देश के कई मुस्लिम संगठनों ने हिजाब मामले में जस्टिस धूलिया के पक्ष का स्वागत किया है। मीडिया को दिए एक बयान में, जमाअत इस्लामी हिन्द की महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रहमतुन्निसा ने कहा कि हम हिजाब मामले में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के फ़ैसले का स्वागत करते हैं। हम उनकी सराहना करते हैं कि हिजाब पहनना महिलाओं की पसंद का मामला है। हम न्यायमूर्ति धूलिया की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि 'कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ग़लत रास्ता अपनाया' और यह कि यह अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ा मामला है, और कुछ नहीं। हम न्यायपालिका से इस मामले में तेज़ी लाने की अपील करते हैं, क्योंकि यह पहले से ही कई लड़कियों को प्रभावित कर रहा है और उन्हें कॉलेज जाने और अपनी पसंद से शिक्षा हासिल करने के मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा है।"

किसी भी धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के बारे में फ़ैसला करना अदालतों का काम नहीं है। यदि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरक़रार रखा जाता है तो यह मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से बाहर कर सकता है और यह प्रगति एवं विकास के मार्ग में सभी समुदायों और सामाजिक समूहों को शामिल करने की सरकार की घोषित नीति के ख़िलाफ़ है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है और यह एक अनुकूल माहौल की मांग करती है जहां सभी अपनी आस्था या अंतरात्मा से कोई समझौता किए बिना अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें।

उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का जो फ़ैसला आएगा वह न्याय और संविधान के अनुरूप ही आएगा। फ़ैसला जो भी आए, हां इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि यह न्याय जगत में ऐसा पड़ाव होगा जिसे सदैव याद रखा जाएगा। ■■

उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का जो फ़ैसला आएगा वह न्याय और संविधान के अनुरुप ही आएगा। फ़ैसला जो भी आए, हां इतना ज़रुर कहा जा सकता है कि यह न्याय जगत में ऐसा पड़ाव होगा जिसे सदैव याद रखा जाएगा।



“तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।”

(कुरआन, 24:22)

with best compliment from

• Tabish Khan [Hyderabad]





सराहनीय आदेश

परिदृश्य



जितेंद्र गौतम

धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले भाषणों के अंतहीन सिलसिले पर गत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस शिकायत का इंतेज़ार न करे, बल्कि स्वतः संज्ञान लेकर संबंधित लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन इस मामले में सख़्ती बरते, अन्यथा अवमानना के लिए तैयार रहे। संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। नफ़रत फैलाने वाले बयानों और भाषणों को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी संबंधित राज्यों की पुलिस को विद्वेषपूर्ण भाषणों की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, मगर उसका कोई असर नज़र नहीं आया। शायद इसीलिए अब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों पर कड़ा रुख़ अपनाया और प्रशासन को अवमानना की चेतावनी दी। अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को इस बाबत नोटिस भी भेजा है कि उन्होंने नफ़रत भरे भाषण देने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? हाल के दिनों में इन्हीं तीनों राज्यों में सबसे अधिक नफ़रती भाषण दिए गए।

नफ़रत भरे भाषणों एवं बयानों के संबंध में न्यायालय द्वारा इस कड़े रुख़ अपनाए जाने के पीछे पर्याप्त कारण थे। न्यायालय द्वारा कड़ा रुख़ अपनाया जाना इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि कई विवादास्पद राजनेता और तथाकथित धार्मिक नेता आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद आसानी से बच निकल रहे हैं। इन बयानों में नरसंहार के आह्वान और समुदाय विशेष के संपूर्ण बहिष्कार करने जैसी बातें भी शामिल हैं। इसी पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने सभी धर्मों और सामाजिक समूहों के बीच धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को रेखांकित किया।

उल्लेखनीय है कि ऐसे बयानों और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त क़ानूनी प्रावधानों के होने के बावजूद ज़्यादातर मामलों में साफ़ तौर पर प्रशासनिक निष्क्रियता देखने को मिली है। इसका कारण यह है कि केंद्र और

कुछ राज्यों में समान विचारधारा वाली सरकारें सोची-समझी रणनीति के तहत निष्क्रिय बनी हुई हैं। ऐसे में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और शांति को लेकर न्यायालय की चिंता स्वाभाविक है।

इस तरह के बयानों से सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न होता है। एक समुदाय विशेष के प्रति समाज में नफ़रत का माहौल बनता है जोकि अंततः देश और समाज के लिए घातक ही सिद्ध होता है। चरमपंथी तत्वों को कथित धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में भड़काऊ भाषणों की इजाज़त देकर माहौल को बिगाड़ने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती।

ग़ौरतलब है कि कुछ महीनों पहले उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धर्म संसदों का आयोजन कर अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ घृणा भरे बयान दिए गए थे। हरिद्वार की धर्म संसद में तो यती नरसिंहानंद ने अल्पसंख्यकों के जनसंहार तक का आह्वान किया था। उस समय भी न्यायालय ने कड़ी चेतावनी दी थी, पुलिस को कार्रवाई करने को कहा था, मगर फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आए। राजधानी दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का बयान इसका ताज़ा उदाहरण है।

गत दिनों उन्होंने दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के सम्पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया था, जिसे लेकर ख़ासा विवाद पैदा हुआ। अदालत में ऐसे बयानों के ज़रिये मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के प्रयासों पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की गई थी। उसी प्रसंग में न्यायालय ने यह ताज़ा आदेश दिया है।

विदित रहे कि दिल्ली दंगों से पहले भी सार्वजनिक मंचों से इसी तरह 'गोली मारो' के नारे लगवाए गए थे। कुछ समय पहले नुपूर शर्मा के बयान पर पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। उन्हें पार्टी से तो निलंबित कर दिया गया, मगर अभी तक वे क़ानून के शिकंजे से दूर ही हैं। हैरानी की बात है कि ऐसे बयानों पर न तो राजनीतिक दल अपने नेताओं को अनुशासित करने के लिए कोई कड़ा क़दम उठाते हैं और न ही प्रशासन सक्रिय नज़र आता है।

अगर वोट की राजनीति के चलते समाज में नफ़रत का वातावरण बने, तो इसे किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी क्या बाध्यता है कि इस तरह के बयानों से सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न करके ही कुछ लोग अपनी पहचान क़ायम रखने का प्रयास कर रहे हैं?

जब कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले भाषणों के ज़रिये ही अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करे, तो ऐसे माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कड़े अनुशासन की अपेक्षा धुंधली पड़ जाती है। कई राजनेता, जो बाक़ायदा चुनाव जीत कर आते हैं, वे अक्सर सार्वजनिक सभाओं में इस तरह के भड़काऊ भाषण देते देखे जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई क़ानूनी कार्रवाई न होने की स्थिति में दूसरे लोगों का मनोबल भी बढ़ता है।

लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि किसी एक समुदाय के नहीं होते। उनकी ज़िम्मेदारी सभी धर्म और समुदाय के लोगों की सुरक्षा, सुविधा और बुनियादी हक़ों की हिफ़ाज़त की होती है। राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधियों का आचरण बहुत मायने रखता है, शायद ये बात हमारे राजनेता नहीं समझते या जान-बूझकर समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ऐसे बयानों से उनका जनाधार बढ़ता है।

भड़काऊ बयानों के ऐसे कई मामलों में देशव्यापी आक्रोश भी फूटा, कुछ मामलों में मुक़दमे भी दर्ज किए गए, लेकिन उससे किसी ने कोई सबक़ नहीं लिया। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को न तो सामाजिक ताने-बाने की चिंता है और न क़ानून का भय। ऐसी स्थिति में न्यायालय का उक्त आदेश सराहनीय है। धार्मिक विद्वेष और सामाजिक पूर्वाग्रह के प्रसार के ज़रिये राष्ट्रीय एकता और सौहार्द को बिगाड़ने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करता है तो क़ानून को स्वतः संज्ञान लेकर सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ■■

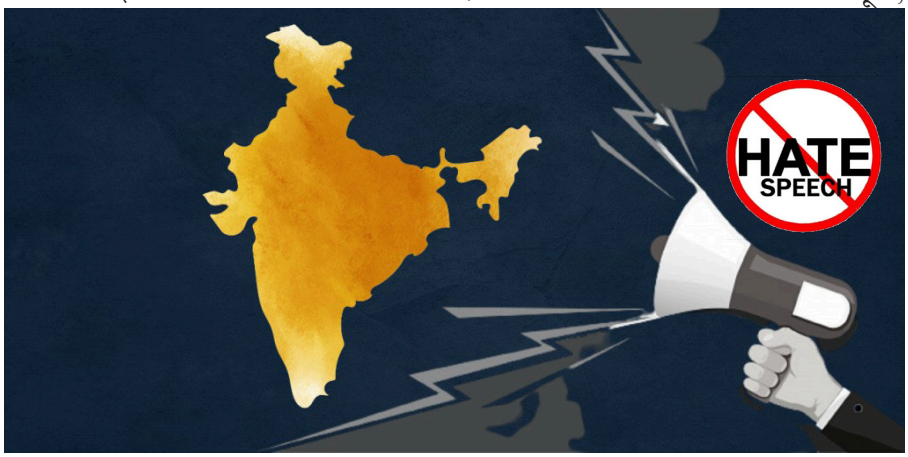

मानवाधिकार दिवस के अवसर पर

मानवाधिकारों की इस्लामी संकल्पना



अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसम्बर

विशेष

संपादन प्रभाग

इस्लाम ने इन्सान को दो प्रकार के अधिकारों के निर्वाह का पाबन्द बनाया है। पहले प्रकार के अधिकारों को 'हुक़ूक़ुल्लाह' अर्थात 'अल्लाह (ईश्वर) के अधिकार' कहा जाता है, इसमें इस्लामी अवधरणाओं के अतिरिक्त धर्मिक क्रियाएं जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात आदि आते हैं। दूसरे प्रकार के अधिकारों को 'हुक़ूक़ुल इबाद' अर्थात 'इन्सानों के इन्सानों पर अधिकार' कहा जाता है, इसमें इन्सानों के व्यावहारिक जीवन से जुड़े सभी अधिकार आ जाते हैं।

इस्लाम ने जहां अल्लाह के के अधिकारों को अदा करने पर ज़ोर दिया है, उतना ही ज़ोर दूसरे इन्सानों के अधिकारों को अदा करने पर भी दिया है। क़ुरआन में जगह-जगह नमाज़ के साथ ज़कात का उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि इस्लाम की दृष्टि में अल्लाह के अधिकार और इन्सानों पर इन्सानों के अधिकार, दोनों का महत्व बराबर है। नमाज़ जहां इन्सान को दिन में पांच बार अल्लाह की याद दिलाकर उसे अल्लाह से क़रीब करती है, वहीं ज़कात इन्सान को यह एहसास दिलाती है कि उसे जो कुछ उसके पालनहार ने दिया है, उस पर केवल उसी का हक़ नहीं है, बल्कि उन ज़रूरतमन्द लोगों का भी अधिकार है, जो किसी कारणवश वंचित रह गये हैं।

पहले प्रकार के अधिकारों का संबंध हर व्यक्ति के निजी जीवन से है। यानी कोई व्यक्ति जो भी धारणा रखता हो, नमाज़ पढ़ता हो या नहीं, ज़कात अदा करता हो या नहीं, रोज़ा रखता हो या न रखता हो, यह उसके और अल्लाह के बीच का मामला है और अल्लाह ही को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने अधिकारों के मामले में हुई कोताही पर अपने बन्दे को सज़ा दे या उसे माफ़ कर दे।

परन्तु, दूसरे प्रकार के अधिकारों का मामला इससे बिलकुल भिन्न है। ये अधिकार इन्सान को सामाजिक जीवन के प्रति ज़िम्मेदार बनाते हैं और इनके

लिए वह अल्लाह के सामने जवाबदेह तो है ही, स्वयं उस समाज के सामने भी उत्तरदायी है, जिसके प्रति उसे इन अधिकारों का निर्वाह करना है।

बन्दों के अधिकारों का महत्व

ये अधिकार अल्लाह के अधिकारों से इसलिए भिन्न हैं कि अल्लाह के अधिकारों में हुई कोताही तो केवल अल्लाह से तौबा करने और अपने रवैये में सुधार कर लेने से माफ़ हो सकती है, परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन या अतिक्रमण किया है तो केवल अल्लाह के सामने रोने-गिड़गिड़ाने से उसे माफ़ी नहीं मिल सकती, बल्कि जिसका अधिकार उसने छीना या नहीं दिया है जब तक वह व्यक्ति स्वयं न माफ़ करे, उस समय तक वह उस अपराध के भार से मुक्त नहीं हो सकता। इसके महत्व को निम्नलिखित हदीस से भली प्रकार समझा जा सकता है-



एक बार पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने साथियों (सहाबा) से पूछा, बताओ सबसे बड़ा मुफ़लिस (दरिद्र) कौन है? सहाबा ने कहा, हम तो मुफ़लिस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास धन-दौलत न हो।' पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, ''मेरे अनुयायियों में सबसे बड़ा मुफ़लिस वह व्यक्ति है जो क़ियामत यानी बदले के दिन नमाज़, रोज़े और ज़कात लेकर हाज़िर होगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर लांछन लगाया होगा, किसी का माल अवैध रूप से खाया होगा, किसी का ख़ून बहाया होगा, तो उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी और नेकियां समाप्त हो जाने के बाद उनके गुनाह उसके सिर मढ़ दिये जाएंगे और फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।'' (मुस्लिम)

उपर्युक्त हदीस से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम की दृष्टि में इन्सानों पर इन्सानों के अधिकारों का कितना महत्व है और उनके प्रति लापरवाही बरतना या उनका उल्लंघन करना कितना बड़ा अपराध और गुनाह है। ऐसा गुनाह जो अल्लाह के आगे की गयी तमाम इबादतों पर पानी फेर सकता है। यही कारण है कि क़ुरआन एवं हदीस में जगह-जगह इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

''निस्संदेह अल्लाह, (हरेक के साथ) न्याय एवं परोपकार का आदेश देता है और निकट संबंधियों को देते रहने का और निर्लज्जता एवं बुरे कार्यों तथा उद्दंडता एवं अवज्ञा से मना करता है, वह तुम्हें उपदेश देता है ताकि तुम अच्छी तरह याद रखो।''

(क़ुरआन, 16:90)

दूसरी जगह कहा गया है-

''अतः रिश्तेदार को उसका अधिकार दो और दरिद्र एवं मुसाफ़िर को (उसका अधिकार), यह उन लोगों के लिए उत्तम है जो अल्लाह की प्रसन्नता चाहते हैं और वही सफलता पाने वाले हैं।'' (क़ुरआन, 30:38)

क़ुरआन के अलावा हदीसों में भी इसके महत्व को बयान किया गया है। उदाहरणार्थ-

''वह व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकता जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो।''

(हदीस : मुस्लिम)

''जो अल्लाह और अन्तिम दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वह अपने पड़ोसी को कष्ट न दे। (बुख़ारी)

इन्सानों के बीच कोई भेद नहीं

इस्लाम मानवाधिकारों से संबंधित क़ुरआन एवं हदीस की उपर्युक्त शिक्षाओं से यह कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि ये अधिकार केवल ईमान वालों अर्थात मुसलमानों लिए हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी ग़ैर-मुस्लिम के साथ अधिकार हनन का व्यवहार करता है तो उसे कोई सज़ा न मिलेगी, बल्कि इनमें केवल एक इन्सान द्वारा दूसरे इन्सान के अधिकारों का ध्यान रखने की ताकीद की गयी है। उदाहरणार्थ पड़ोसी के संबंध में यह निर्देश है कि 'वह व्यक्ति मोमिन (ईमान वाला) ही नहीं, जो स्वयं पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए।''

(हदीस)

स्पष्ट है कि ग़रीब पड़ोसी मुस्लिम भी हो सकता है और ग़ैर-मुस्लिम भी। इसी प्रकार अन्य अधिकारों के मामले में भी इन्सानों के अधिकारों को अदा करने पर ज़ोर दिया गया है। क़ुरआन में एक जगह कहा गया है-

''और यह सत्य है कि हमने इन्सान को अपने मां-बाप का हक़ पहचानने की ताकीद की है। उसकी मां ने उसे कमज़ोरी पर कमज़ोरी उठाकर अपने पेट में रखा और दो साल उसका दूध छूटने में लगे। (इसी लिए हमने उसे उपदेश

दिया कि) मेरा शुक्र कर और अपने मां-बाप का भी शुक्र अदा कर, मेरी ही ओर तुझे पलटना है। परन्तु यदि वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को साझी ठहराए जिसे तू नहीं जानता तो उनकी बात हरगिज़ न मान। (मगर) दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह, मगर अनुपालन उस व्यक्ति के मार्ग का कर जो मेरी ओर उन्मुख है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही ओर है। उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम किस प्रकार के काम करते रहे हो।''

(क़ुरआन, 31:14,15)

क़ुरआन की उपर्युक्त आयत में यद्यपि एकेश्वरवाद के महत्व पर ज़ोर दिया गया है और यह बताया गया है कि मां-बाप जैसे निकटवर्ती संबंधी भी यदि बहुदेववाद के लिए ज़ोर डालें तो भी एकेश्वरवादी व्यक्ति को अपने निश्चय से डिगना नहीं चाहिए, और ऐसे में उनकी आज्ञापालन न करते हुए ईश्वर की आज्ञापालन को सर्वोपरि रखना चाहिए। मगर आयत के ये शब्द कि 'दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह' यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऐसे में भी मां-बाप के अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए।

ज़ाहिर है अल्लाह के साथ किसी और को साझी ठहराने का आदेश एकेश्वरवादी या मुस्लिम मां-बाप तो नहीं दे सकते। निश्चय ही ऐसा ग़ैर-मुस्लिम मां-बाप ही कर सकते हैं, परन्तु उनके साथ भी सद्व्यवहार से पेश आने की शिक्षा देना यह सिद्ध करता है कि इस्लाम ने अधिकारों के मामले में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम में कोई अन्तर नहीं किया है।

बीमार की बीमारपुर्सी को भी इस्लाम में बहुत सवाब (पुण्य) का कार्य बताया गया है। अल्लाह के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का कथन है-''जो किसी बीमार को देखने जाता है, मानो वह जन्नत में होता है।''(मुस्लिम) इसमें भी मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम का भेद नहीं किया गया है। इसका उदाहरण भी हमें अल्लाह पैग़म्बर (सल्ल०) के जीवन से ही मिल जाता है।

इमाम मुहम्मद बिन हसन (रह०) ने हज़रत बरीदा (रज़ि०) से उद्धृत किया है कि हम लोग अल्लाह के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के पास बैठे हुए थे। आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, ''तुम लोग हमारे साथ चलो कि हम अपने यहूदी पड़ोसी की बीमारपुर्सी कर लें। उसके यहां जाने के बाद आप (सल्ल०) ने



उससे पूछा कि तुम कैसे हो? और उसके सामने तीन बार इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। तीसरी बार में उसके बाप ने कहा, ''बेटा, तुम कलिमा-ए-शहादत पढ़ लो।'' अतः उसने कलिमा-ए-शहादत पढ़ लिया । आप (सल्ल०) ने फ़रमाया, ''अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरे कारण एक व्यक्ति को जहन्नम से बचा लिया।'' (बुख़ारी, तिरमिज़ी)

यहां यह बात ध्यान में रहे कि अल्लाह के रसूल द्वारा उस यहूदी के यहां जाने का मूल उद्देश्य उसकी बीमारपुर्सी था। इस्लाम की ओर दावत देने का कारण यह था कि आप (सल्ल०) नहीं चाहते थे कि वह अविश्वास की अवस्था में जान देकर अल्लाह (ईश्वर) के प्रकोप का भागी बने।

यह एक विडंबना ही है कि अन्य धर्मावलंबियों की तरह इस्लाम के अनुयायियों में भी यह बुराई घुस आयी है कि धर्म प्रायः रस्म बनकर रह गया है। जिसका परिणाम है कि धर्म के वे कार्य जो धर्मिक क्रियाओं विशेषकर शारीरिक क्रियाओं से संबंध रखते हैं उन पर तो अच्छी तरह अमल किया जाता है। उदाहरणार्थ नमाज़, रोज़े की पाबन्दी करने वाले और बार-बार हज करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, और इनकी नसीहत करने वाले भी, लेकिन इन्सान का इन्सान के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस ओर कम ही लोग ध्यान देते हैं।

हालांकि इस्लाम की यह शिक्षा भी किसी से छिपी नहीं है, विशेषकर नमाज़-रोज़े के पाबन्द पारम्परिक धर्मिक लोगों से तो बिलकुल भी नहीं कि नमाज़, रोज़े आदि के संबंध में हुई कोताही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से माफ़ हो सकती है, परन्तु यदि किसी दूसरे इन्सान का हक़ मारा होगा तो उससे छुटकारा केवल दो ही स्थितियों में हो सकता है। एक, या तो उसका हक़ उसे दे दिया जाए, या उसी व्यक्ति से क्षमा-याचना की जाए और वह बिना किसी दबाव के इस अपराध को क्षमा कर दे, फिर चाहे वह मुस्लिम हो या ग़ैर-मुस्लिम। इसके अलावा इस पाप की सज़ा से बचने का कोई उपाय नहीं है।

मानवाधिकारों के बारे में इतने सख़्त सिद्धांत होते हुए भी इस ओर से लापरवाही बरतना और यह समझना कि केवल अल्लाह के आगे माथा टेकने या कुछ दुआएं पढ़ लेने से सब कुछ माफ़ हो जाएगा, एक ख़तरनाक भ्रांति है। ■■

"अल्लाह ही रात और दिन का उलट-फेर करता है। निश्चय ही आंखें रखने वालों के लिए इसमें एक शिक्षा है।"

(क़ुरआन, 24:44)

with best compliment from

- *W. D. Khan [Hyderabad]*
- *Syed Hashim Ali [Hyderabad]*

लघुकथा



अकरम हयात

मेरी पार्टी

अरे कहां जा रहे हो?

पार्टी में।

बहुत अच्छा। किसने पार्टी की है जनाब की ?

जी मैंने ही की है अपने आपकी।

यह क्या बात हुई !

क्यों ! नहीं कर सकता क्या मैं?

नहीं कर तो सकते हैं मगर !

मगर कुछ अजीब-सा नहीं है। अपने आप ही ख़ुद की पार्टी ?

इसमें अजीब क्या है? मैं सबकी पार्टी करता हूं। लोग मेरी दावत करते हैं, तो क्या मैं अपनी पार्टी ख़ुद ही नहीं कर सकता।

अच्छा चलिए यह बताये किस ख़ुशी में अपनी पार्टी की है आपने?

मुझे आज इनाम मिला है, सम्मानित किया गया है!

यह तो बहुत अच्छा है! मुबारक हो, बहुत ख़ुशी की बात है। किसने किया है आपको सम्मानित और क्या इनाम मिला है जनाब को ?

मैंने ख़ुद ही अपने को सम्मानित किया है आज। और इनाम यह है कि आज सिर्फ़ मैं अपने आपको टाइम दूंगा, अपने से जमकर बातें करूंगा। मैंने मोबाइल भी उठाकर रख दिया है।

लेकिन सम्मानित तो दूसरे हमको करते हैं, इनाम तो दूसरे हम को देते हैं। हम कैसे

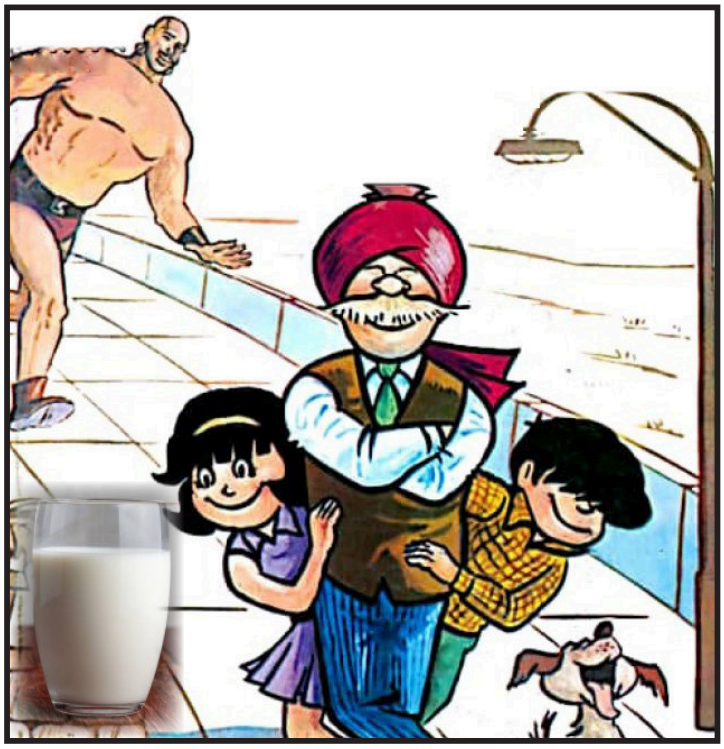

अपने को कर सकते हैं! यह तो अपने मुहं मियां मिट्ठू बनना हुआ?

बिल्कुल नहीं। बल्कि हक़ीक़त यह है कि अगर आप ख़ुद को ख़ुद ही सम्मानित नहीं करते हो तो दुनिया में कोई आपको सम्मान नहीं देगा।

लेकिन फिर भी। कुछ अजीब-सा नहीं है?

अजीब नहीं है। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। कभी अपने को सम्मान दिया है?

जी इस तरह तो कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं। तो करके देखो। एक बार ख़ुद को सम्मानित करना और इनाम देना सीख जाओगे तो बाहर के सम्मान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मिले तो ठीक। न मिले तो और भी ठीक।

जी! बात कुछ दिल को लग रही है। अच्छा यह तो बताइये कि पार्टी में आप कहां जा रहे हैं और क्या करने और खाने वाले हैं?

बस अपने कमरे में जा रहा हूं। मोबाइल मैंने बाहर छोड़ दिया है। जाकर आराम से बिस्तर पर लेटूंगा और कोमिक्स पढ़ूंगा जो मैं बचपन में बहुत शौक़ से पढ़ा करता था। उसके लिए कभी-कभी स्कूल से भी भाग जाया करता था।

और खाएंगे क्या?

बस एक दूध का ग्लास। जिस तरह मां बीच में आकर रख जाती थी। जब मैं पढ़ रहा होता था। ■■



सर्दी, खांसी, ज़ुकाम :

मौसम के नख़रे संक्रमण के ख़तरे

सेहत



संपादन प्रभाग

इस मौसम में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। इन दिनों सर्दी-ज़ुकाम बुख़ार से बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं। इसके अलावा डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। मौसम में बदलाव आप भी महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है, आपके आसपास कुछ लोग इस मौसम की समस्या से ग्रस्त हों। ऐसे लोगों के संपर्क में आने से आपको भी बुख़ार और खांसी-ज़ुकाम होने की संभावना हो सकती है।

ख़ासकर अगर आपके घर में बच्चे या बूढ़े हैं तो आपको अधिक संभल कर रहना चाहिए। नहीं तो ये बीमारियां आसानी से पूरे घर में फैल सकती हैं। आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत रखना होगा। थोड़ा जीवन-शैली पर भी ध्यान देना होगा। अगर पूरी सर्दी के मौसम में आप थोड़ी सावधानी बरतें और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे तो आप और आपका परिवार आसानी से बीमारियों से बचा रह सकता है।

बुख़ार

चिकित्सक बताते हैं कि बुख़ार अपने आप में कोई रोग नहीं है। वह किसी संक्रमण का लक्षण है। जब आपके शरीर में कोई अवांछित बैक्टीरिया या वायरस पहुंच जाता है, तो शरीर उससे लड़ना शुरू कर देता है। इसी क्रम में वह गरम रहने लगता है, जिसे हम बुख़ार कहते हैं। बुख़ार के साथ-साथ खांसी और ज़ुकाम जैसी समस्याएं भी आ घेरती हैं।

सिर दर्द और बदन दर्द रहने लगता है। अगर ऐसी समस्या होती है, तो आपको अधिक से अधिक शरीर को आराम देना चाहिए। इसमें नींद लेनी चाहिए। यूं भी अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो इसका प्रभाव आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पर पड़ सकता है। आप अगर पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आपकी सेहत आमतौर पर ख़राब ही रहने लगेगी।

जब भी खांसी, ज़ुकाम और बुख़ार हो, गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए।

हल्का भोजन करें, ख़ूब पानी पीएं। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, शहद का काढ़ा पीएं, तो इसमें लाभकारी रहता है। अगर खांसी अधिक हो रही है, तो अदरक को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और खा लें, तुरंत आराम मिलेगा। बुख़ार की प्रकृति को जानना ज़रूरी है, क्योंकि यह कई वजहों से होता है। जांच करा कर ही दवा लें। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी जीवन-शैली में बदलाव करें और अपने दैनिक जीवन में कुछ बातों का कड़ाई से पालन करें। जैसे सुबह गुनगुने पानी में शहद और नींबू नीचोड़ कर पीएं। चाय-काफ़ी कम कर दें।

भोजन में सावधानी बरतें

आपको फल और सब्ज़ियां अधिक से अधिक खानी चाहिए, क्योंकि इनमें एंटी आक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह आपके ऊतकों को स्वस्थ बनाता और प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करता है। इससे आपको संक्रमण आदि से लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए भोजन में हरी सब्ज़ियां ज़रूर शामिल करें।

हाथ धोएं

किसी भी प्रकार के कीटाणुओं के लिए आपके हाथ, नाक और आंख प्रवेश द्वार होते हैं। जब भी आप खांसते या फिर छींकते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली बूंदें काफ़ी जल्दी दूसरों तक पहुंचती हैं और यहीं से संक्रमण की शुरुआत होती है। इसलिए अगर आपके आसपास भी कोई खांस या फिर छींक रहा है तो आपको अपने हाथों को तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क पहनें तो इस तरह के संक्रमण से बच सकते हैं। जब भी बाहर से आएं, तो हाथ-मुंह-पांव ज़रूर धोएं।

सर्दी से बचने के लिए भी अपनी साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना है। सर्दी और बुख़ार आदि से बचने की सबसे आसान नुस्ख़ा यही है कि आपको अपने हाथों को कीटाणु आदि से बचा कर रखना होगा। इसलिए अपने हाथ धोते रहें।

किसी भी प्रकार के कीटाणुओं के लिए आपके हाथ, नाक और आंख प्रवेश द्वार होते हैं। जब भी आप खांसते या फिर छींकते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली बूंदें काफ़ी जल्दी दूसरों तक पहुंचती हैं और यहीं से संक्रमण की शुरुआत होती है। इसलिए अगर आपके आसपास भी कोई खांस या फिर छींक रहा है तो आपको अपने हाथों को तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए।



सर्दी से बचें

यह तो सब जानते हैं कि तनाव से कई बीमारियां पैदा होती हैं। सर्दी-ज़ुकाम भी तनाव की वजह से पैदा हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के तनाव से बचें। अपनी मानसिक स्थिति को एक अच्छी सेहत प्रदान करना एक प्रक्रिया होती है। जोकि एक दो दिन का काम नहीं, बल्कि काफ़ी लंबे समय का काम होता है। स्ट्रेस हार्मोन से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है। इसलिए योग और ध्यान करना न भूलें। जीवन-शैली में बदलाव करके तनाव-मुक्त रहा जा सकता है।

निर्जलीकरण से बचें

निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी होने से बुख़ार और खांसी-ज़ुकाम का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए उचित मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह भी नहीं कि केवल पानी पीएं, आप गर्म सूप, फलों का रस, कोई अन्य गरम तरल पदार्थ वग़ैरह भी पी सकते हैं। इससे आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और आपकी प्रतिरोधक भी मज़बूत बनी रहेगी। इस तरह आप किसी भी प्रकार के सर्दी-ज़ुकाम के संक्रमण से बचे रहेंगे। निर्जलीकरण से बचने के लिए सेंधा नमक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ■■

(यह लेख सिर्फ़ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)



भाषा से भविष्य बनाते दुभाषिए

करियर

संपादन प्रभाग

भूमंडलीकरण के इस दौर में दुनिया भर की कंपनियां एक से अधिक देशों में अपना उद्यम स्थापित कर रही हैं। देशों के आपसी राजनयिक संबंध भी पहले की तुलना में काफ़ी महत्त्वपूर्ण और अंतर्संबंधित हो गए हैं। इस कारण पूर्व की तुलना में अब एक ही देश में एक से अधिक उच्चायोग स्थापित करने के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। शैक्षणिक संस्थाएं भी अपने यहां दाख़िला देने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही हैं।

इसके अलावा बीपीओ और केपीओ के क्षेत्र में अब भी विस्तार जारी है। इन सभी को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो 'मूल देश' की भाषा के साथ-साथ 'लक्षित देश या क्षेत्र' की भाषा में मज़बूत पकड़ रखते हों। इसका उद्देश्य अपने टारगेट ऑडिएंस की शंकाओं का उनकी अपनी भाषा में समाधान उपलब्ध कराना होता है। इसके अलावा भी तमाम अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें बड़ी तादात में दुभाषियों (इंटरप्रेटर्स) की ज़रूरत होती है। इस प्रकार दुभाषियों के लिए भविष्य में सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार के व्यापक अवसर हैं।

योग्यता

दुभाषिए बनने के लिए आवेदक को कम से कम दो भाषाओं के सम्यक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ उम्मीदवारी को और मज़बूत बना देती है। इसके लिए विद्यार्थी बारहवीं करने के बाद विदेशी भाषा में स्नातक और उसके बाद विदेशी भाषा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के बाद कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के मौक़े भी उपलब्ध हैं। हालांकि किसी भी विषय से स्नातक करने के बाद रुचि की भाषा में डिप्लोमा भी किया जा सकता है। कई देशों के दूतावास भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती हैं।

अवसर और संभावनाएं

दुभाषिए या अनुवादक के लिए काम की कोई कमी नहीं है। वे इसमें

अंशकालिक से लेकर पूर्णकालिक करियर बना सकते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय, विभिन्न दूतावासों, विदेशी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों व विश्वविद्यालयों, बाज़ार सर्वेक्षण कंपनियों आदि में ऐसे लोगों की काफ़ी मांग होती है। अच्छे वेतन वाली नौकरी के साथ विदेशों में तैनाती के भी भरपूर अवसर मिलते हैं।

इसके अलावा दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, समाचार एजेंसियों और निजी टीवी चैनलों में बतौर विदेश संवाददाता कार्य करने का विकल्प भी मौजूद हैं। भारत के साथ गूढ़ संबंधों वाले देशों की भाषा जिसमें चाइनीज, अरेबिक, रशियन, जर्मन, स्पेनिश, जेपनीज, फ्रेंच, हिब्रू आदि का चयन अवसरों में काफ़ी वृद्धि करता है।

ऐसे करें शुरुआत

पाठ्यक्रम के दौरान या पढ़ाई पूरी कर चुके युवा अपनी विशिष्टता वाली भाषा के देश यानी कि वह भाषा जिस देश में बोली जाती है, उस देश के दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। वहां समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है और विद्यार्थियों को बतौर स्वयंसेवक काम करने का मौक़ा प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा छोटे-छोटे अनुवाद, वायस ओवर आदि के भुगतान आधारित कार्य प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रकाशकों से भी संपर्क किया जा सकता है जो उक्त भाषा की किताबों, साहित्यों आदि को प्रकाशित करते हैं। वहां 'प्रूफरीडर' का काम हासिल किया जा सकता है। स्थानीय भाषाई प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों में अंशकालिक प्रशिक्षक का कार्य भी किया जा सकता है। एक बार भाषा पर पकड़ और कुछ संपर्क स्थापित होने के बाद आगे की राहें आसान हो जाती हैं।

आमदनी

भाषा में महारत के बाद ख़ुद का काम शुरू कर सकते हैं और दूतावासों से संपर्क कर घर बैठे 30-40 हज़ार रुपए महीने तक कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी संस्थान अथवा विभाग में पूर्णकालिक नौकरी असीमित संभावनाओं के साथ आती है और अनुभव के साथ-साथ आय में वृद्धि होती जाती है।

प्रमुख संस्थान

दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, कोलकाता, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई, एमिटी विश्वविद्यालय, मुंबई, रेवा विश्वविद्यालय, बंगलुरू, आइआइटीएम, गोबिंदगढ़, मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल। ■■

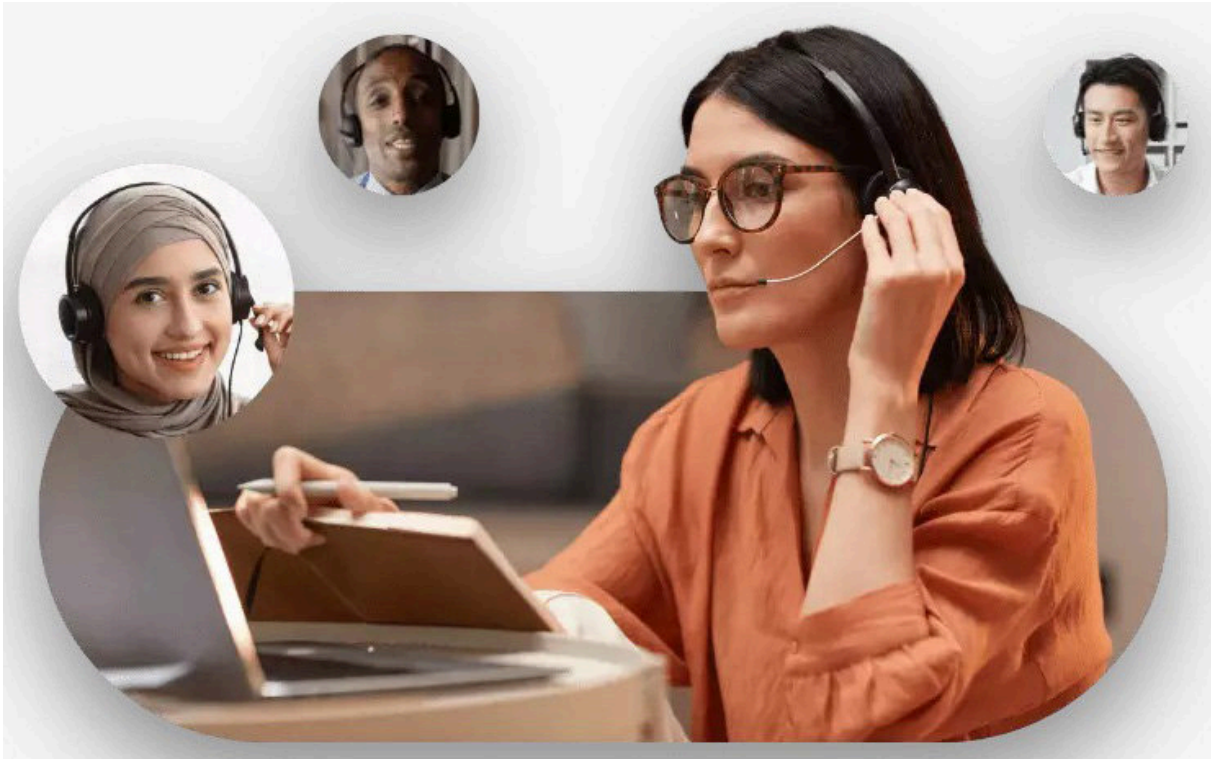

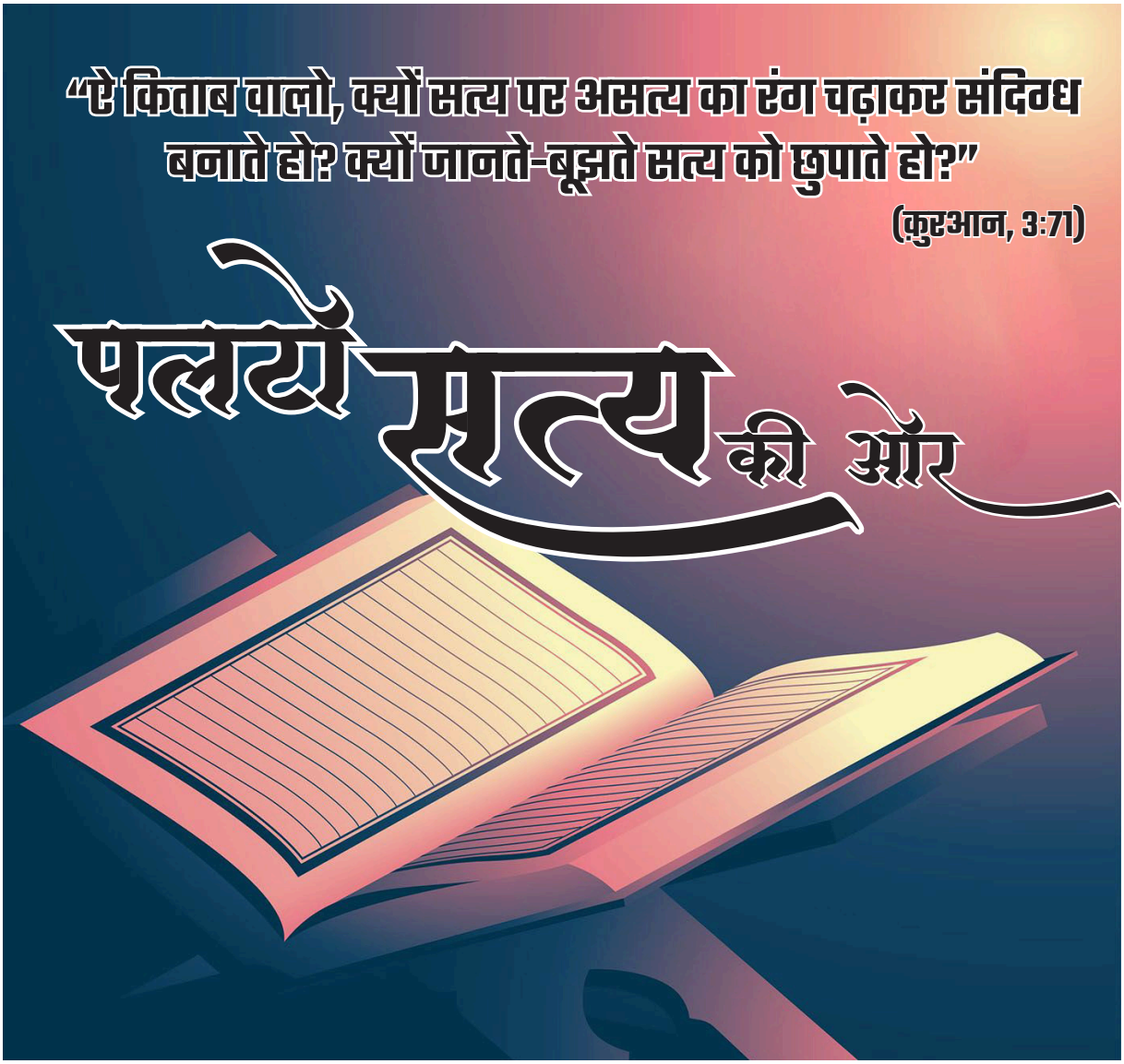

आख़िरी पन्ना



वहीदुद्दीन ख़ां

एक बिन्दु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा मात्र एक ही होती है इसी प्रकार व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने वाला सीधा मार्ग भी कोई एक ही हो सकता है। इसी मार्ग का नाम सच्चाई है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सत्य क्या है तथा उस सत्य की खोज किस प्रकार की जाए।

हमारा सौभाग्य है कि सत्य जिस प्रकार एक है उसी प्रकार वह मैदान भी मात्र एक है। यहां कई विकल्प नहीं हैं, जिनके मध्य चुनाव का प्रश्न उत्पन्न हो, यहां तो मात्र एक ही बात है, जिसको स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज में एकाग्रचित हो तो वह पाएगा कि ईश्वर ने उसको चुनाव की दुविधा में नहीं डाला है, बल्कि ईश्वर ने हमको एक ऐसे संसार में रखा है जहां चुनाव सत्य और असत्य के मध्य है न कि सत्य और सत्य के मध्य।

दर्शनशास्त्र सत्य की खोज में कम से कम पांच हज़ार वर्षों से प्रयत्नशील है परन्तु उसकी लम्बी खोज ने उसको मात्र इस स्थान तक पहुंचाया है कि वह स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वह अन्तिम सत्य तक पहुंचने में अयोग्य तथा अक्षम सिद्ध हुआ है और न ही कभी पहुंच सकता है। दर्शनशास्त्र की विधि यह है कि वह बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है परन्तु विवेक अपने ज्ञान की सीमा तक चिन्तन करता है और सत्य का मामला एक ऐसा मामला है जिसके विषय में कोई

वास्तविक विचार प्रस्तुत करने के लिए पूरी सृष्टि का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी दार्शनिक को आज तक सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसीलिए वह सत्य के सम्बंध में कोई अन्तिम विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विज्ञान ने इस सम्बंध में अपने को इस क्षेत्र से अलग कर रखा है। विज्ञान की खोज उन विषयों तक सीमित है जहां पुनरावृत्ति के अनुभव के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो। विज्ञान पुष्प के रासायनिक तत्व को चिन्तन का विषय बनाता है। परन्तु वह पुष्प की सुगंध को अपनी बहस से निष्कासित कर देता है, क्योंकि पुष्प के रासायनिक तत्व तौले और नापे जा सकते हैं, परन्तु पुष्प की सुगंध को तौलने और नापने का कोई मापक यन्त्र विज्ञान के पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार विज्ञान ने अपने चिन्तन परिधि को स्वयं ही सीमित कर लिया है। अतः विज्ञान ने पहले से ही स्वीकार कर लिया है कि वह सांसारिक तथ्य के मात्र आंशिक पहलू से ही बहस करता है। वह पूर्ण एवं अन्तिम सत्य के सम्बंध में कोई अकाट्य विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

आध्यात्मिक व्यक्तियों का यह दावा है या उनके अनुयायी यह विश्वास रखते हैं कि वह सत्य से पूर्ण अवगत हैं और सत्य का अन्तिम ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु इस विश्वास का कोई आधार नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दावे के अनुसार जिस साधन के द्वारा सत्य से अवगत होते हैं, वह आध्यात्मिक अभ्यास है परन्तु नाम मात्र के आध्यात्मिक अभ्यास वास्तव में शारीरिक अभ्यास हैं और शारीरिक अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक खोज स्वयं एक निरर्थक कार्य है। दूसरा यह कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उन सीमाओं से परे नहीं है, जिन सीमाओं के शिकार उस जैसे दूसरे सभी व्यक्ति हैं। व्यक्ति अपनी जिन सीमाओं के कारण सत्य से अवगत नहीं हो सकता, वही सीमाएं स्वयं आध्यात्मिक लोगों के मार्ग में भी बाधक हैं। किसी भी प्रकार का अभ्यास व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक सीमाओं से मुक्त नहीं कर सकता। अतः अभ्यास उसको पूर्ण तथा अन्तिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद इस मैदान में मात्र ईशदूत (पैग़म्बर) शेष बचते हैं।

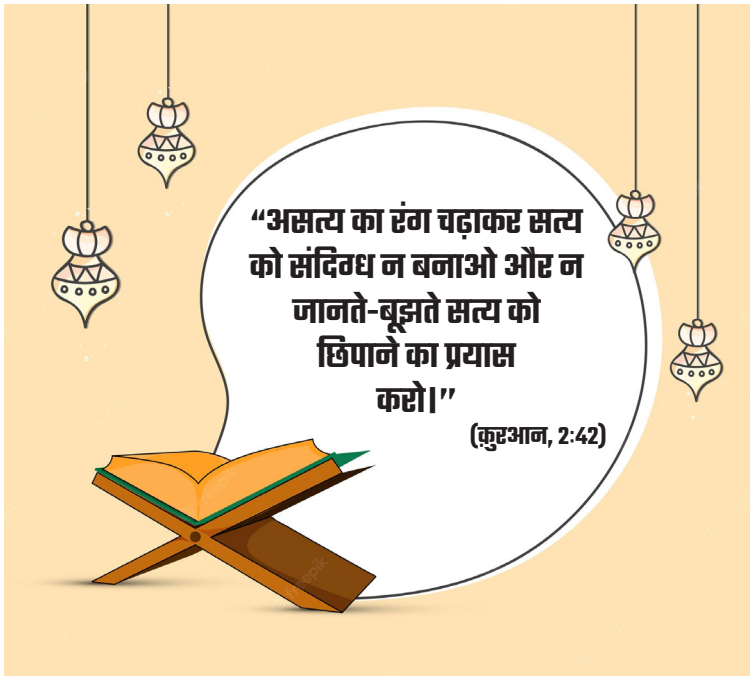

ईशदूत वह पूर्ण व्यक्ति होता है, जो यह कहता है कि ईश्वर ने उसको चुना है, और उस पर सत्य का ज्ञान उतारा है, ताकि वह उस सत्य को समस्त मानवजाति तक पहुंचा दे। अपनी प्रकृति की सीमा तक मात्र यही एक दावा विश्वसनीय है, क्योंकि सत्य का वास्तविक ज्ञान केवल ईश्वर को ही हो सकता है, जो अनादि और अनंत है और समस्त वास्तविकताओं से पूर्ण रूप से अवगत है।

ईश्वर का ईश्वर होना यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि वह सत्य का पूर्ण ज्ञान रखता है, इसलिए जो व्यक्ति यह कहे कि उसको प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की ओर से सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसका दावा वास्तव में इस योग्य है कि इस सम्बंध में उसको मान्यता दी जाए। यहां एक प्रश्न और उठता है कि इस संसार में अनेक ईशदूतों का आगमन हुआ है तथा उनके धार्मिक ग्रंथों की संख्या भी अनेक हैं। फिर किस ईशदूत को स्वीकार किया जाए।

यदि व्यक्ति सत्य की खोज में गंभीर हो जाए तो उसको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। निःसन्देह अतीत में अनेक ईशदूत भेजे गए परन्तु मानव के पास अतीत की किसी भी घटना को मानने के लिए ठोस मापदंड यह है कि उसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हो।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के सम्बंध में प्रत्येक बात का पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। वर्तमान युग के किसी भी व्यक्ति के विषय में हम जितना जानते हैं उससे भी अधिक हम

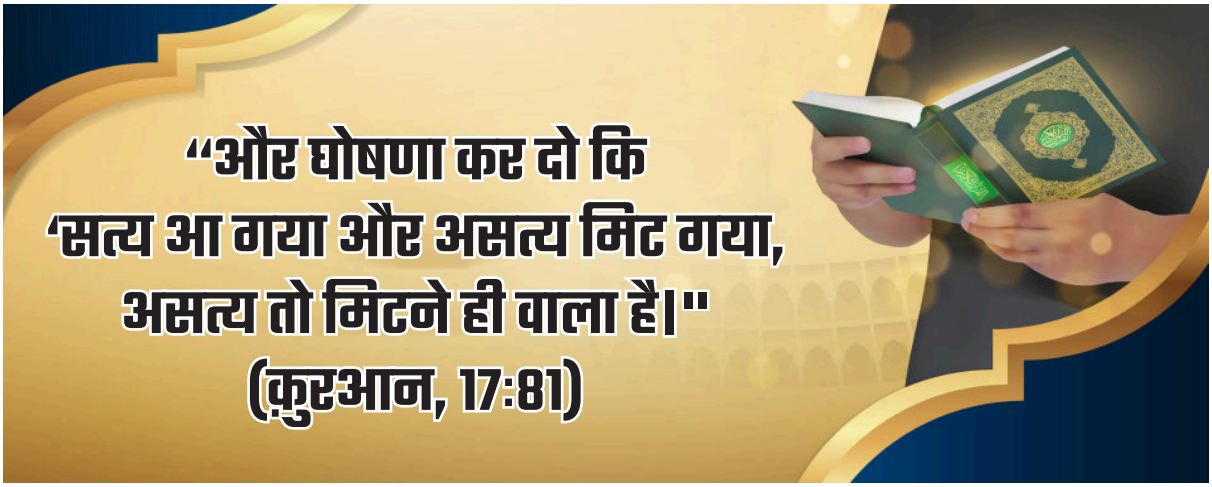

मुहम्मद (सल्ल.) के विषय में जानते हैं। आपका सम्पूर्ण जीवन परिचय इतिहास के पन्नों में अंकित है और वह पवित्र ग्रन्थ भी बिना किसी सूक्ष्म परिवर्तन के मूल रूप में मौजूद है। जिसको आपने यह कहकर लोगों के हवाले किया था, कि यह मेरे पास ईश्वर की ओर से आया है।

वास्तविकता यह है कि विशुद्ध ज्ञान एवं बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो ''सत्य क्या है'' के प्रश्न का उत्तर न केवल वैचारिक स्तर से एक है, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी मैदान में मात्र एक ही उत्तर मौजूद है। हमें अनेक उत्तरों में से मात्र एक उत्तर का चुनाव नहीं करना है, बल्कि एक ही अन्तिम उत्तर को स्वीकार करना है। यह सत्यता ईश्वरीय-वाणी है और ईश्वरीय-वाणी सदैव एक ही रहती है। जिस प्रकार संसार की दूसरी वस्तुओं के लिए ईश्वरीय आदेश सदैव से एक ही है, उसी प्रकार मानवजाति के लिए भी ईश्वरीय आदेश एक है और सदैव एक ही रहेगा।

पृथ्वी एवं आकाश के नियम अरबों वर्ष व्यतीत होने पर तनिक भी परिवर्तित नहीं होते। वृक्ष एवं जल के सिद्धान्त जो एक भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, वही दूसरे क्षेत्र में भी होते हैं। यही हाल मानव के बारे में ईश्वर के आदेश का भी है। मानव

दर्शनशास्त्र की विधि यह है कि वह बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है परन्तु विवेक अपने ज्ञान की सीमा तक चिन्तन करता है और सत्य का मामला एक ऐसा मामला है जिसके विषय में कोई वास्तविक विचार प्रस्तुत करने के लिए पूरी सृष्टि का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी दार्शनिक को आज तक सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसीलिए वह सत्य के सम्बंध में कोई अन्तिम विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता।

के सम्बंध में ईश्वर का जो आदेश है, वही आज भी है, जो हज़ारों वर्ष पूर्व था। वह एक देश के निवासियों के लिये भी वही है जो दूसरे देश के निवासियों के लिये।

जीवन के कुछ पहलू तो परिवर्तनशील हैं उदाहरणार्थ सवारियां, निवास स्थान इत्यादि, परन्तु सत्य का सम्बंध इस प्रकार की वस्तुओं से नहीं है, सत्य का सम्बंध उस व्यक्ति से है, जो सदैव एक स्थिति में रहता है। सत्य का सम्बंध इससे है कि व्यक्ति किसको अपना जन्मदाता एवं स्वामी स्वीकार करे। वह किसके समक्ष झुके और किसकी उपासना करे। वह किससे भयभीत हो, और किससे प्रेम करे। वह अपनी सफलता और असफलता को किस पैमाने से परखे। उसके जीवन का उद्देश्य और भावनाओं का केन्द्र बिन्दु क्या हो? लोगों के मध्य रहते हुए वह किन नियमों के अंतर्गत उनसे संबंध रखे।

सत्य का संबंध जीवन के इन्हीं कार्यों से है और यह क्रिया-कलाप वह है, जिनका कोई संबंध युग तथा भौगोलिक सीमा से नहीं है। वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक युग में समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। ईश्वर एक एवं अनन्त है। ठीक इसी प्रकार सत्य भी एक है और शाश्वत भी। ■■

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

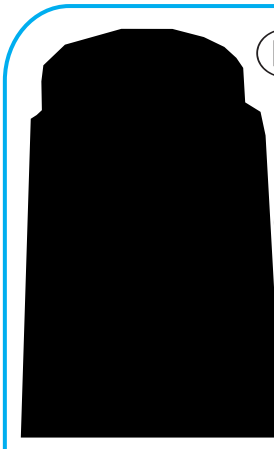

گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

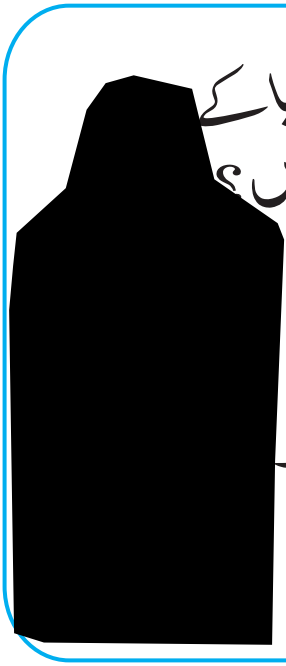

گٹھیا کے درد میں

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن

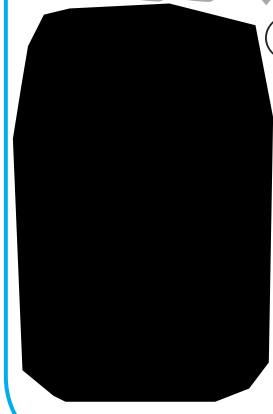

جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا

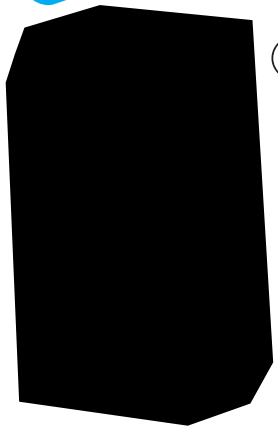

مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

KANTI Monthly, New Delhi
DECEMBER 2022
Posted on 20-21 November 2022
Published on 18 November 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ امام مالک:705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com